[2019] 1 उम. नि. प. 77

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

अचल सिंह

21 अगस्त, 2018

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16, 21 और 309 [सपठित उत्तर प्रदेश मूल नियम का नियम 56] – स्वेच्छया सेवानिवृत्ति – जब सरकारी सेवक की सेवाएं लोक हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों तब सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और स्वेच्छया सेवानिवृत्ति से इनकार करना अनुज्ञेय होगा क्योंकि सेवानिवृत्त होने का अधिकार जीवन के अधिकार से सर्वोपरि नहीं है ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 309 [सपठित उत्तर प्रदेश मूल नियम का नियम 56] – स्वेच्छया सेवानिवृत्ति – डाक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ईप्सित स्वेच्छया सेवानिवृत्ति से इनकार करना – उत्तर प्रदेश में डाक्टरों की कमी के आधार पर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति से संबंधित उनकी प्रार्थना को नामंजूर करना मनमाना या अवैध नहीं होगा क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने में लोगों का अधिकार अंतर्वलित होता है और स्वेच्छया सेवानिवृत्ति अनुज्ञात करके उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के जीवन को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है ।

प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी-डा. अचल सिंह ने, जो कि संयुक्त निदेशक के रूप में, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ में कार्यरत थे, 31 मार्च, 2017 से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए तारीख 14 दिसम्बर, 2016 का एक आवेदन फाइल किया था । प्रत्यर्थी -डा. अजय कुमार तिवारी ने, जो कि संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, देवी पतन मंडल, गौंडा का पद धारण किए हुए थे, 31 मई, 2017 से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करते हुए तारीख 28 फरवरी, 2017 को एक आवेदन फाइल किया । प्रत्यर्थी - डा. राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जो कि ज्येष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्यरत थे, तारीख 15 अप्रैल, 2015 को स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन फाइल किया और प्रत्यर्थी - डा. राजीव चौधरी, जो कि जिला अस्पताल, रायबरेली में

ज्येष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्यरत थे, तारीख 3 दिसम्बर, 2016 को आवेदन फाइल करके स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा की । इन आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और कोई आदेश संसूचित नहीं किया गया था, अतः उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं फाइल की गई थीं । प्रत्यर्थी-डाक्टर प्रांतीय चिकित्सा सेवा के सदस्य थे । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में यह मत व्यक्त किया है कि राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को मानीटर करना प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है और उन्हें इन मुद्दों की निष्ठापूर्वक परीक्षा करनी है कि आम जनता की बेहतरी के लिए सरकारी अस्पतालों के कामकाज में सुधार कैसे किया जा सकता है और इस बात का पता लगाना है कि आए दिन डाक्टर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का विकल्प क्यों अपना रहे हैं । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि जब नई भर्तियां की जाती हैं तो डाक्टर सरकारी सेवा में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं होते हैं । उच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि चिकित्सा अधिकारियों के पद अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा रहे हैं । उच्च न्यायालय ने आगे यह उल्लेख किया कि जिन डाक्टरों ने सरकारी सेवा में प्रवेश कर लिया है वे सेवा से स्वेच्छया निवृत्ति का विकल्प अपना रहे हैं जिसके कारण सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की गंभीर कमी हो रही हैं । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की रिपोर्ट और प्रति 2000 लोगों में एक डाक्टर के विद्यमान अनुपात के प्रति भी निर्देश किया । वास्तव में, डाक्टरों की संख्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की रिपोर्ट में दी गई संख्या से काफी कम है । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि डाक्टरों की कमी के बावजूद उन्हें प्रशासनिक पदों पर तैनात किया जा रहा है जिससे विशेषज्ञीय प्रतिभा का दुर्व्ययन होता है । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि प्राधिकारियों को पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं, कामकाजी उपस्करों और समुचित कार्यकरण संबंधी वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए । अस्पतालों को स्वास्थ्य देखरेख के उत्कृष्ट केन्द्र बनाया जाना चाहिए । राज्य सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिए कि डाक्टरों को उचित अवसर उपलब्ध कराएं जाएं जिससे कि उन्हें सेवा में प्रतिधारित किया जा सके । उच्च न्यायालय ने, इसके साथ-साथ यह भी मत व्यक्त किया कि निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ज्येष्ठ और कनिष्ठ डाक्टरों के बीच संतुलन बनाए रखना उपयुक्त होगा । डाक्टरों को सतत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने और

नवीनतम विचार/राय/ज्ञान आदि के आदान-प्रदान के लिए सम्मेलन और सेमीनार आयोजित करने की आवश्यकता है और प्रोन्नति आदि के लिए इस प्रकार के आयोजनों में उनके प्रदर्शन पर भी विचार किया जाना चाहिए । इसके साथ-साथ, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाएं मंजूर कर लीं और यह माना कि डाक्टर विनिर्दिष्ट तारीखों को स्वेच्छया निवृत्त हो गए हैं । राज्य ने, इससे व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की हैं । प्रस्तुत मामले में, विचारार्थ मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मूल नियम के नियम 56 के अधीन किसी कर्मचारी को राज्य सरकार को तीन मास की सूचना देकर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने का अनिर्बंधित अधिकार प्राप्त है अथवा क्या राज्य सरकार मूल नियमों के नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य को यथा-लागू मूल नियमों के नियम 56 के खंड (ग) के अधीन लोक हित में स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की प्रार्थना से इनकार करने के लिए प्राधिकृत है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि नियम 56 के खंड (ग) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी का किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त करने का विनिश्चय तब किया जाएगा यदि वह लोक हित में प्रतीत होता है । यह स्पष्टीकरण दोनों आकस्मिकताओं में लागू होता है, अर्थात्, जब सरकार किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करती है या जब कोई कर्मचारी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करता है, न केवल जब सरकार किसी कर्मचारी को लोक हित में सेवानिवृत्त करने की वांछा करती है । उत्तर प्रदेश राज्य को यथा-लागू नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण स्पष्ट और संक्षिप्त है । क्या स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्वतः होती है या इसके लिए आदेश पारित करना आवश्यक है, यह उस विशिष्ट नियम में, जिसके अधीन सेवानिवृत्ति का आदेश किया जाना है या स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा की जाती है, प्रयुक्त शब्दावली पर निर्भर करेगा । प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति को, लागू नियमों के साथ देखना होगा और किसी अन्य नियम का निर्वचन करने वाले न्यायालय के आदेश को लागू करते समय वह तात्विक रूप से समरूप होना चाहिए । नियम 56(2) किसी सरकारी सेवक से लोक हित में सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा करने के लिए सरकार का समाधान होने के संबंध में है । सरकार इस प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक से संबंधित किसी भी सामग्री पर विचार कर सकेगी और सतर्कता स्थापन से किसी रिपोर्ट की

अध्यपेक्षा कर सकेगी । (पैरा 10 और 11)

उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-लागू नियम 56 के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना तीन मास की अवधि के अवसान पर स्वतः प्रभावी नहीं हुई है । प्रश्नगत नियम के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी को स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करना होता है या अनुज्ञेय आधारों पर उससे इनकार किया जा सकता है । नियम 56(ग) उस प्रवर्ग में नहीं आता है जहां कि कर्मचारी को स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । उपर्युक्त निर्णय को और इस न्यायालय द्वारा जो कुछ अभिनिर्धारित किया गया है, उसे देखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रार्थना में गुणागुण नहीं है कि यदि यह न्यायालय पूर्ववर्ती विनिश्चय का अनुसरण नहीं करता है तो इसे किसी बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित किया जाए क्योंकि हमने इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती विनिश्चयों में जो कुछ अभिनिर्धारित किया है, उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है । इस न्यायालय ने अनेक बार अधिकारिक रूप से यह विधि अधिकथित की है । (पैरा 25 और 26)

इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि नियम 56(घ) में यह उपबंधित है कि जहां कोई अनुशासनिक जांच लंबित या अनुध्यात है और अनुध्यात अनुशासनिक जांच की दशा में, सरकारी सेवक को सूचना के अवसान के पूर्व यह सूचित किया जाएगा कि उसे स्वीकार नहीं किया गया है । नियम 56(घ) का परन्तुक वहां लागू नहीं होता है जहां अनुशासनिक जांच अनुध्यात या लंबित नहीं है । जब स्वयं परन्तुक ही लागू नहीं होता है तब वह किसी भी दशा में नियम 56 के खंड (ग) में उल्लिखित आकस्मिकताओं की बाबत स्पष्टीकरण के उपबंधों को भी हल्का नहीं करेगा । स्वाधीनता के सिद्धांत और स्वाधीनता को कम करने के संबंध में किए गए इस निवेदन को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि विधि न्यायपूर्ण, ऋजु और युक्तिसंगत होनी चाहिए, क्योंकि मूल नियम कानूनी नियम होते हैं और वे राज्यपाल द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 241(2)(ख) के अधीन बनाए गए हैं और प्रश्नगत नियम के उपबंधों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे अऋजु, अयुक्तिसंगत और अन्यायपूर्ण हैं । स्वाधीनता की इस संकल्पना को लागू नहीं किया जा सकता है कि जब लोक हित में आवश्यक हो तब सेवा न की जाए क्योंकि सेवानिवृत्ति जिससे धनीय फायदे जुड़े होते हैं, कतिपय शर्तों के अध्यधीन हो सकती है । आम जनता का अति-विशेषज्ञताप्राप्त विशेषज्ञों से न कि अर्ध-

कुशल डाक्टरों से उपचार कराने का अधिकार है । (पैरा 31, 32 और 33)

सरकार द्वारा भी लोक हित की संकल्पना का अवलंब लिया जा सकता है जब कि किसी कर्मचारी द्वारा ईप्सित स्वेच्छया सेवानिवृत्ति लोक हित के प्रतिकूल है । उपबंधों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे किसी अधिकार का अतिक्रमण करते हैं । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, डाक्टरों की पहले से काफी कमी है, प्रणाली को सक्षम ज्येष्ठ व्यक्तियों से विहीन नहीं छोड़ा जा सकता है और विशेष रूप से उच्च न्यायालय ने स्वयं यह मत व्यक्त किया है कि डाक्टरों को सेवा में प्रवेश करने के लिए आकर्षित नहीं किया जा रहा है और डाक्टरों की कमी विद्यमान है । गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में उपचार कराता है । उन्हें जोखिम में नहीं डाला जा सकता है जबकि कतिपय डाक्टरों को प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया है । यह सही नहीं है कि उन्हें उनकी ज्येष्ठता के बिना या अन्य काडर में तैनात किया गया है । इन प्रशासनिक पदों पर भी किसी न किसी को कार्य करना है, जो कि चिकित्सा सेवाओं को चलाने के लिए, जो कि स्वयं जीवन के अधिकार का एक भाग है, पूर्णतः आवश्यक है । वर्तमान मामले में, जहां कि उपचार प्राप्त करने में जनता का अधिकार अंतर्वलित है, राज्य सरकार ने स्पष्टीकरणों के अनुसार लोक हित को विचार में लेते हुए स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की प्रार्थना से इनकार करने का विनिश्चय किया है । यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य ने कोई अवैधता कारित की है या उसका विनिश्चय मनमानेपन की किसी बुराई से ग्रस्त है । (पैरा 34)

सरकार का विनिश्चय मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और लोक हित के उद्देश्यों को अग्रसर करता है । प्रत्यर्थी संविधान के भाग 3 के अधीन सेवानिवृत्त होने के अधिकार का दावा कर रहे हैं, ऐसा अधिकार जीवन के अधिकार से सर्वोपरि नहीं हो सकता है । इसका निर्वचन संविधान के भाग 4 में राज्य सरकार के अधिकारों के साथ-साथ करना होगा क्योंकि राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य और पोषाहार से संबंधित उपबंधों की देखभाल करने का प्रयत्न करना बाध्यकारी है । मूल कर्तव्य भी अनुच्छेद 51(क) के अधीन प्रतिष्ठापित हैं जिनका पालन करना आवश्यक है । अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन अधिकार आम जनता के हित के अध्यधीन होता है और जैसे ही सेवा में प्रवेश कर लिया जाता है, उस अधिकार का प्रयोग केवल नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं । लोक हित में की गई ऐसी

सेवा शर्तों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे अवैध या मनमानी हैं या उनसे स्वाधीनता के अधिकार को छीना गया है । प्रश्नगत नियम के उपबंधों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे सांविधानिक उपबंधों के विरुद्ध हैं । स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की दशा में, उपदान, पेंशन और अन्य देय आदि कर्मचारी को नियमों के अनुसार संदेय होते हैं और जब किसी कर्मचारी की सेवाओं की अपेक्षा हो तब नियुक्ति प्राधिकारी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करने संबंधी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा । यदि सभी डाक्टरों को सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है तो उस स्थिति में अराजकता फैल जाएगी और सरकारी अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं रह जाएगा जो कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के विरुद्ध और लोक हित के लिए हानिकर होगा । स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की दशा में, नियम 56 में एक उपबंध है कि सरकारी सेवक को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि की बजाय पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि का फायदा प्रदान किया जा सकता है और इसके साथ-साथ अत्यंत आवश्यकता की स्थिति में सेवा करने की तद्नुरूपी बाध्यता भी है । (पैरा 35)

भारत में, गरीब लोगों और वंचितों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित चिकित्सा सेवाएं हैं अन्यथा पूर्त-चिकित्सा व्यवसाय का वाणिज्यीकरण हो जाएगा । अन्य राज्यों में भी, कभी-कभी यह देखा गया है कि जब किसी डाक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो वह डाक्टर उस पद से त्यागपत्र देते हुए आवेदन अग्रेषित करता है या स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करता है क्योंकि वह बाहर नहीं जाना चाहता है और अपनी लाभप्रद प्राइवेट प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं चाहता है और जब वह अपनी पसन्द के स्थान पर नियुक्ति वापस प्राप्त कर लेता है तो वह ड्यूटी ग्रहण कर लेता है । ऐसे परिदृश्य में, लोगों को अच्छे डाक्टरों की सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है । डाक्टरों की कमी और चिकित्सा के नेक व्यवसाय के दुर्भाग्यपूर्ण निजीकरण और वाणिज्यीकरण को ध्यान में रखते हुए, राज्य चिकित्सा सेवाओं की दक्षता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किया गया विनिश्चय नियमों के अनुसार अनुज्ञेय है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञताप्राप्त डाक्टरों की कमी का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त मताभिव्यक्तियां की हैं और इसके साथ-साथ अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश राज्य को लागू नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण पर

विचार किए बिना गलत निर्वचन के आधार पर राज्य सरकार के विरुद्ध विनिश्चय किया है । उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रस्तावना दी गई है वह उसके निष्कर्ष के विपरीत है । उच्च न्यायालय को डाक्टरों द्वारा की गई स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की प्रार्थना को नामंजूर कर देना चाहिए था न कि मंजूर करना चाहिए था । (पैरा 36)

अनुच्छेद 47 के अधीन लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन एक प्राथमिक कर्तव्य और कानूनी अभिव्यक्ति है जिसे प्रवर्तित किया जा सकता है । अनुच्छेद 51क(छ) के अधीन प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे और मानववाद रखना भी अनुच्छेद 51क(ज) के अधीन अनुध्यात है और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले । गरीब लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से वंचित करके और उन्हें डाक्टरों की दया पर छोड़ देने से इसे पूरा नहीं किया जा सकता है । सरकारी चिकित्सा सेवाओं से बड़े पैमाने पर पलायन नहीं किया जा सकता है जैसा कि वर्तमान मामले में दर्शाया जा रहा है, निश्चित रूप से विधि के क्षेत्र के भीतर ऐसा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है और हमें संविधान के सार और उसकी भावना पर खरा उतरना है और हम समाज के निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं की अवज्ञा या अनदेखी नहीं कर सकते । (पैरा 38)

सेवानिवृत्ति पर एक वर्ष के अधिस्थगन काल के अधिरोपण की बाबत भी निवेदन किया गया था और यह कि राज्य द्वारा डाक्टरों की भर्ती की जानी चाहिए और उसके पश्चात् स्वेच्छया सेवानिवृत्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए । हम ऐसा साहस दिखाने की प्रस्थापना नहीं करते हैं । स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने वाली प्रार्थना को अस्वीकार करने संबंधी राज्य सरकार की कार्रवाई उपयुक्त थी । सरकार, यदि कोई रिक्तियां हैं तो उन्हें भर सकती है । किन्तु इससे ज्येष्ठ स्तर पर अनुभवी डाक्टर उपलब्ध नहीं हो जाएंगे और जब एक बार उन्होंने यह पाया कि नियमों में की गई कानूनी अभिव्यक्तियों का उपहास नहीं किया जा सकता है तो सेवाओं को कमजोर करने के लिए डाक्टरों के पलायन को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है जबकि लोक हित में दक्ष चिकित्सा व्यवसाय के लिए और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की पूर्ति करने के लिए उनका

सेवा में बने रहना अपेक्षित है । जब सेवाओं की आवश्यकता हो तो उत्तर प्रदेश राज्य में लागू नियमों के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति से इनकार करना अनुज्ञेय है । (पैरा 42)

प्रभेदित निर्णय

		पैरा
[1978]	[1978] 4 उम. नि. प. 249 = (1977) 4 एस. सी. सी. 441 : **दिनेश चन्द्र संगमा** बनाम **असम राज्य** ।	8,12,13, 14,15,40

निर्दिष्ट निर्णय

[2014]	(2014) एस. सी. सी. आनलाइन राजस्थान 6253 : **डा. कल्पना सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	40
[2013]	(2013) 14 एस. सी. सी. 486 : **सी. वी. फ्रांसिस** बनाम **भारत संघ** ;	23
[2010]	(2010) एस. सी. सी. आनलाइन पंजाब और हरियाणा 6159 : **पंजाब राज्य** बनाम **डा. हरबीर सिंह ढिल्लन** ;	40
[2009]	(2009) 10 एस. सी. सी. 514 : **पदुबिदरी दामोदर शिनाय** बनाम **इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड और एक अन्य** ;	22
[2001]	(2001) 3 एस. सी. सी. 290 : **टेक चन्द** बनाम **दिले राम** ;	24
[1999]	(1999) 4 एस. सी. सी. 293 : **हरियाणा राज्य** बनाम **एस. के. सिंघल** ;	18,20,40
[1996]	(1996) 4 एस. सी. सी. 584 : **हिमाचल प्रदेश होर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड** बनाम **सुमन बिहारी शर्मा** ;	21
[1987]	(1987) (सप्ली.) एस. सी. सी. 528 : **महंत धनमीर** बनाम **मदन मोहन** ;	27

[1981] [1981] 1 उम. नि. प. 129 = (1980) 2 एस. सी. सी. 768 : **जगदीश सरण** बनाम **भारत संघ** ; 33

[1979] [1979] 2 उम. नि. प. 242 = (1978) 2 एस. सी. सी. 202 : **बी. जे. शैलत** बनाम **गुजरात राज्य** ; 16

[1964] [1964] 5 एस. सी. आर. 683 : **मोती राम डेका** बनाम **जी. एम. नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे** ; 29,30

[1955] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661 : **बंगाल इम्यूनिटी** बनाम **बिहार राज्य** ; 17

[1953] ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 252 : **मुम्बई राज्य** बनाम **यूनाइटेड मोटर्स** ; 17

आई. एल. आर. 1 पंजाब और हरियाणा 46 : **डा. अनिल दीवान** बनाम **पंजाब राज्य** । 40

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 8421, 8422, 8423 और 8424.

2017 की रिट याचिका सं. 14939 (एकल न्यायपीठ) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ के तारीख 29 नवम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री पी. एन. मिश्रा, अमरेन्द्र शरण, राकेश द्विवेदी, आर. बी. सिंघल, ज्येष्ठ अधिवक्ता, अंकुर प्रकाश, के. लुईकांग मिशेल, अशोक पांडे, आर. के. सैनी, सत्यजीत कुमार की ओर से राजीव कुमार, गौरव ढींगरा, गौरव मेहरोत्रा, तल्हा अब्दुल रहमान, कुषाग्र पांडेय, सिद्धार्थ अय्यर, अमरेन्द्र कुमार मेहता, राघवेन्द्र सैनी, (सुश्री) अनु गुप्ता की ओर से संजय मणि त्रिपाठी, हीरा लाल, सुरेन्द्र कुमार, आदित्य बी. सिंघल और आफताब अली खान की ओर से अमित कुमार उपाध्याय

न्यायालय की निर्णय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने दिया ।

न्या. मिश्रा – इजाजत दी जाती है ।

2. इन अपीलों में उत्तर प्रदेश राज्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 29 नवम्बर, 2017 के उस सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यर्थियों द्वारा सरकारी सेवाओं से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करते हुए फाइल की गई रिट याचिकाओं को मंजूर कर लिया गया है । इस संबंध में निदेश जारी किए गए थे कि प्रत्यर्थियों को सरकारी सेवा से 30 नवम्बर, 2017 और 31 दिसम्बर, 2017 से सेवानिवृत्त माना जाए ।

3. हमारे समक्ष विचारार्थ मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मूल नियम (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल नियम" कहा गया है) के नियम 56 के अधीन किसी कर्मचारी को राज्य सरकार को तीन मास की सूचना देकर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने का अनिर्बंधित अधिकार प्राप्त है अथवा क्या राज्य सरकार मूल नियमों के नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य को यथा-लागू मूल नियमों के नियम 56 के खंड (ग) के अधीन लोक हित में स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की प्रार्थना से इनकार करने के लिए प्राधिकृत है ।

4. प्रत्यर्थी - डा. अचल सिंह ने, जो कि संयुक्त निदेशक के रूप में, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ में कार्यरत थे, 31 मार्च, 2017 से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए तारीख 14 दिसम्बर, 2016 का एक आवेदन फाइल किया था । प्रत्यर्थी-डा. अजय कुमार तिवारी ने, जो कि संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, देवी पतन मंडल, गौंडा का पद धारण किए हुए थे, 31 मई, 2017 से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करते हुए तारीख 28 फरवरी, 2017 को एक आवेदन फाइल किया । प्रत्यर्थी-डा. राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जो कि ज्येष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्यरत थे, तारीख 15 अप्रैल, 2015 को स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन फाइल किया और प्रत्यर्थी - डा. राजीव चौधरी, जो कि जिला अस्पताल, रायबरेली में ज्येष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्यरत थे, तारीख 3 दिसम्बर, 2016 को आवेदन फाइल करके स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा की । इन आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और कोई आदेश संसूचित नहीं किया गया था, अतः उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं फाइल की गई थीं । प्रत्यर्थी-डाक्टर प्रांतीय चिकित्सा सेवा के सदस्य थे ।

5. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में यह मत व्यक्त किया है कि राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को मानीटर करना प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है और उन्हें इन मुद्दों की निष्ठापूर्वक परीक्षा करनी है कि आम जनता की बेहतरी के लिए सरकारी अस्पतालों के कामकाज में सुधार कैसे किया जा सकता है और इस बात का पता लगाना है कि आए दिन डाक्टर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का विकल्प क्यों अपना रहे हैं । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि जब नई भर्तियां की जाती हैं तो डाक्टर सरकारी सेवा में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं होते हैं । उच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि चिकित्सा अधिकारियों के पद अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा रहे हैं । उच्च न्यायालय ने आगे यह उल्लेख किया कि जिन डाक्टरों ने सरकारी सेवा में प्रवेश कर लिया है वे सेवा से स्वेच्छया निवृत्ति का विकल्प अपना रहे हैं जिसके कारण सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की गंभीर कमी हो रही है ।

6. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की रिपोर्ट और प्रति 2000 लोगों में एक डाक्टर के विद्यमान अनुपात के प्रति भी निर्देश किया । वास्तव में, डाक्टरों की संख्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की रिपोर्ट में दी गई संख्या से काफी कम है । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि डाक्टरों की कमी के बावजूद उन्हें प्रशासनिक पदों पर तैनात किया जा रहा है जिससे विशेषज्ञीय प्रतिभा का दुर्व्ययन होता है । उच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि प्राधिकारियों को पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं, कामकाजी उपस्करों और समुचित कार्यकरण संबंधी वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए । अस्पतालों को स्वास्थ्य देखरेख के उत्कृष्ट केन्द्र बनाया जाना चाहिए । राज्य सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिए कि डाक्टरों को उचित अवसर उपलब्ध कराएं जाएं जिससे कि उन्हें सेवा में प्रतिधारित किया जा सके । उच्च न्यायालय ने, इसके साथ-साथ यह भी मत व्यक्त किया कि निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ज्येष्ठ और कनिष्ठ डाक्टरों के बीच संतुलन बनाए रखना उपयुक्त होगा । डाक्टरों को सतत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने और नवीनतम विचार/राय/ज्ञान आदि के आदान-प्रदान के लिए सम्मेलन और सेमीनार आयोजित करने की आवश्यकता है और प्रोन्नति आदि के लिए इस प्रकार के आयोजनों में उनके प्रदर्शन पर भी विचार किया जाना चाहिए । इसके साथ-साथ, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाएं

मंजूर कर लीं और यह माना कि डाक्टर विनिर्दिष्ट तारीखों को स्वेच्छया निवृत्त हो गए हैं । राज्य ने, इससे व्यथित होकर ये अपीलें फाइल की हैं ।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री पी. एन. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-संशोधित मूल नियमों के नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण के अनुसार, राज्य सरकार इस संबंध में विनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या लोक हित पर सम्यक् विचार करते हुए किसी कर्मचारी को नियम 56(क) के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्त किया जाए अथवा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के आवेदनों को नामंजूर कर दिया जाए । यह भी निवेदन किया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-लागू नियम 56 के अधीन दिए गए तीन मास की सूचना की अवधि के अवसान पर सेवानिवृत्ति स्वतः नहीं हो जाती है । स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा प्रदान करने वाला कोई अभिव्यक्त आदेश अवश्य होना चाहिए, इसके पश्चात् ही किसी कर्मचारी के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो गया है । उत्तर प्रदेश राज्य में प्रांतीय स्वास्थ्य सेवाओं में डाक्टरों की कमी है, इसलिए राज्य सरकार ने स्वेच्छया सेवानिवृत्ति संबंधी आवेदनों को मंजूर नहीं किया है । उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेश मूल नियमों के नियम 56 के गलत निर्वचन पर आधारित हैं और वे लोक हित के विरुद्ध हैं ।

8. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल द्वारा यह दलील दी गई थी कि डा. अचल सिंह के मामले में, राज्य सरकार ने तारीख 31 मई, 2017 को आदेश पारित किया है । स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की प्रार्थना को विशेषज्ञताप्राप्त डाक्टरों की कमी के आधार पर और लोक हित में नामंजूर कर दिया गया था और नियम 56 के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने वाली सूचना को नामंजूर कर दिया गया था तथा अन्य मामलों में, आवेदनों को लंबित रखा गया था । उन्होंने आगे यह दलील दी कि नियम 56 में सूचना न कि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध अनुध्यात है । कर्मचारी को स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए सूचना देते समय कारण देना आवश्यक नहीं है और ऐसी किसी दशा में, ऐसे कारण न्याय नहीं हैं । स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करना कर्मचारी का विशेषाधिकार है । स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने संबंधी कर्मचारी का अधिकार, सेवाओं में कमी की दशा में उसके सेवानिवृत्त करने संबंधी राज्य सरकार

के अधिकार के तद्नुरूप है । जैसा कि **दिनेश चन्द्र संगमा** बनाम **असम राज्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, नियम में सेवानिवृत्त होने के अधिकार के बारे में न कि उसकी ईप्सा करने के संबंध में उपबंध किया गया है । नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति केवल तब अपेक्षित होती है जब अनुशासनिक जांच लंबित हो और उसके लंबित होने की संसूचना कर्मचारी को दे दी गई हो । जैसे ही तीन मास की सूचना दे दी जाती है, डाक्टर के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सेवानिवृत्त हो गए हैं और उक्त तारीख के पश्चात् स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना को नामंजूर करने का प्रयास करने संबंधी कोई भी कार्रवाई विधि की दृष्टि से निष्प्रभावी है । तीन मास की अवधि के भीतर ही विनिश्चय किया जाना होगा अन्यथा कर्मचारी के बारे में स्वतः यह समझा जाएगा कि वह तीन मास की अवधि के बीत जाने पर सेवानिवृत्त हो गया है । यह दलील दी गई थी कि न्यायालय को इस सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि विधि के नियम की निश्चितता को लागू किया जा सकता है और **दिनेश चन्द्र संगमा** (उपर्युक्त) वाले मामले में चिरस्थायी पूर्व-निर्णय को निष्कासित नहीं किया जा सकता है और उसे वर्तमान मामलों को लागू किया जाए । बीस वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की एकमात्र शर्त पूरी हो जाती है और यदि वह मंजूर कर दी जाती है तो इससे डाक्टरों की उपलभ्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । राज्य ने डाक्टरों की भर्ती करने की ओर ध्यान नहीं दिया है । स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के आदेश को रोकना अनुज्ञेय नहीं है । यदि यह न्यायालय **दिनेश चन्द्र संगमा** (उपर्युक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय से सहमत नहीं है तो मामले को बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित किया जा सकता है । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे साम्या के संतुलन के लिए अधिस्थगन अधिरोपित करने की शर्त के आधार पर पुष्ट किया जा सकता है ।

9. परस्पर-विरोधी दलीलों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-संशोधित मूल नियमों पर विचार करना आवश्यक है । ये नियम अन्य राज्यों में विरचित नियमों से कुछ भिन्न हैं । उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-संशोधित मूल नियमों का नियम 56 इसमें इसके नीचे उद्धृत किया जाता है :–

---

[1] [1978] 4 उम. नि. प. 249 = (1977) 4 एस. सी. सी. 441.

*"56(क) इस नियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अवर सेवा में के किसी सरकारी सेवक से भिन्न प्रत्येक सरकारी सेवक, उस मास के, जिसमें वह अठावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से निवृत्त हो जाएगा । उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् उन लोक आधारों पर, जो लेखबद्ध किए जाने चाहिएं, सरकार की मंजूरी से सेवा में प्रतिधारित किया जा सकेगा किन्तु उसे अत्यंत विशेष परिस्थितियों के सिवाय, 60 वर्ष[1] की आयु के पश्चात् प्रतिधारित नहीं किया जाना चाहिए ।

(ख) अवर सेवा में का सरकारी सेवक उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न को सेवा से निवृत्त हो जाएगा । उसे अत्यंत विशेष परिस्थितियों और सरकार की मंजूरी के सिवाय, उस तारीख के पश्चात् सेवा में प्रतिधारित नहीं किया जाना चाहिए ।

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

"56(a) Except as otherwise provided in this Rule, every Government servant other than a Government servant in inferior service shall retire from serice on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty eight years. He may be retained in service after the date of compulsory retirement with the sanction of the Government on public grounds which must be recorded in writing, but he must not be retained after the age of 60 years[1] except in very special circumstances.

(b) A Government servant in inferior service shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years. He must not be retained in service after that date, except in very special circumstances and with sanction of the Government.

[1]चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु, अधिसूचना सं. 2324/ एस.ई. सी.-2-5-2017-7(237)/2014, तारीख 31 मई, 2017 द्वारा कतिपय शर्तों सहित लोक हित में, 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष अनुमोदित की गई है ।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी, खंड (क) या खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी), कोई कारण दिए बिना किसी समय सूचना द्वारा पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकेगा या ऐसा सरकारी सेवक, पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना देकर स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो सकेगा ।

(घ) ऐसी सूचना की अवधि तीन मास होगी :

परन्तु यह कि –

(i) ऐसे किसी सरकारी सेवक को पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा किसी भी समय, ऐसी सूचना के बिना या कम अवधि की सूचना देकर सेवानिवृत्त किया जा सकेगा और सरकारी सेवक, इस प्रकार सेवानिवृत्त होने पर, यथास्थिति, सूचना की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए, जितनी तीन मास से कम होती है, उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्तों

(c) Notwithstanding anything contained in clause (a) or clause (b), the appointing authority may, at any time by notice to any Government Servant (whether permanent or temporary), without assigning any reason, require him to retire after he attains the age of fifty years or such Government servant may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of forty-five years or after he has completed qualifying service of twenty years.

(d) the period of such notice shall be three months:

Provided that –

(i) any such Government servant may by order of the appointing authority, without such notice or by a shorter notice, be retired forthwith at any time after attaining the age of fifty years, and on such retirement the Government servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for the period of the notice, or as the case may be, for the period by which such notice falls

की, यदि कोई हैं, रकम के समतुल्य राशि का, जिस दर पर वह इस सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राप्त कर रहा था, दावा करने का हकदार होगा ;

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी सरकारी सेवक को किसी सूचना के बिना या कम अवधि की सूचना देकर, सरकारी सेवक से यह अपेक्षा किए बिना कि वह सूचना के बदले किसी शास्ति का संदाय करे, सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा देने के लिए स्वतंत्र होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित या अनुध्यात है, दी गई ऐसी सूचना केवल तभी प्रभावी होगी यदि उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, बशर्ते किसी अनुध्यात अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में, सरकारी सेवक को उसकी सूचना के अवसान से पूर्व सूचित कर दिया जाएगा कि उसे स्वीकार नहीं किया गया है :

परन्तु यह भी कि किसी सरकारी सेवक द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करते हुए खंड (ग) के अधीन दी गई सूचना उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं ली जाएगी ।

---

short of three months, at the same rates at which he was drawing immediately before this retirement;

(ii) it shall be open to the appointing authority to allow a Government servant to retire without any notice or by a shorter notice without requiring the Government servant to pay any penalty in lieu of notice:

Provided further that such notice given by the Government servant against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated, shall be effective only if it is accepted by the appointing authority, provided that in the case of a contemplated disciplinary proceeding the Government servant shall be informed before the expiry of his notice that it has not been accepted:

Provided also that the notice once given by a Government servant under clause (c) seeking voluntary retirement shall not be withdrawn by him except with the permission of the appointing authority.

(ङ) प्रत्येक ऐसे सरकारी सेवक को, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होता है या जिसे सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाता है या अनुज्ञात किया जाता है, सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन सेवानिवृत्ति पेंशन संदेय होगी और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हैं, उपलब्ध होंगे :

परन्तु जहां ऐसा कोई सरकारी सेवक, जो इस नियम के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है वहां नियुक्ति प्राधिकारी, पेंशन और उपदान, यदि कोई है, के प्रयोजनों के लिए पांच वर्ष या ऐसी अवधि की अतिरिक्त सेवा का, जो उसने तब की होती यदि वह अपनी अधिवर्षिता की साधारण तारीख तक सेवा में बना रहता, इनमें से जो भी कम हो, फायदा अनुज्ञात कर सकेगा ;

स्पष्टीकरण – (1) खंड (ग) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी का वह विनिश्चय, जिसमें सरकारी सेवक से उसमें विनिर्दिष्ट रूप में सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की गई है, तब किया जाएगा यदि उक्त प्राधिकारी को वह लोक हित में प्रतीत होता है किन्तु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा कि आदेश में, ऐसा विनिश्चय लोक हित में किए जाने का विवरण देना अपेक्षित है ।

(e) A retiring pension shall be payable and other retirement benefits, if any, shall be available in accordance with and subject to the provisions of the relevant Rules to every Government servant who retires or is required or allowed to retire under this rule :

Provided that where a Government servant who voluntarily retires or is allowed voluntarily to retire under this rule the appointing authority may allow him, for the purposes of pension and gratuity, if any, the benefit of additional service of five years or of such period as he would have served if he had continued till the ordinary date of his superannuation, whichever is less;

Explanation – (1) The decision of the appointing authority under clause (c) to require the Government servant to retire as specified therein shall be taken if it appears to the said authority to be in public interest, but nothing herein contained shall be construed to require any recital, in the order, of such decision having been taken in the public interest.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, इस संबंध में समाधान करने की दृष्टि से कि किसी सरकारी सेवक से खंड (ग) के अधीन सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा करना लोक हित में होगा अथवा नहीं, सरकारी सेवक से संबंधित किसी भी सामग्री को विचार में ले सकेगा और इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि विचार में लेने के लिए निम्नलिखित बातें अपवर्जित हैं –

(क) ऐसे सरकारी सेवक को कोई दक्षता रोहण पार करने के लिए अनुज्ञात करने से पूर्व या उसे किसी पद पर स्थानापन्न या अधिष्ठायी हैसियत में या तदर्थ आधार पर प्रोन्नत किए जाने से पूर्व की किसी अवधि से संबंधित कोई प्रविष्टियां ; या

(ख) कोई ऐसी प्रविष्टि, जिसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन लंबित है बशर्ते प्रविष्टि के साथ-साथ उस अभ्यावेदन को भी विचार में लिया जाए ; या

(ग) उत्तर प्रदेश सतर्कता स्थापन अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतर्कता स्थापन की कोई रिपोर्ट ।

---

(2) In order to be satisfied whether it will be in the public interest to require a Government servant to retire under clause (c), the appointing authority may take into consideration any material relating to the Government servant and nothing herein contained shall be construed to exclude from consideration –

(a) any entries relating to any period before such Government servant was allowed to cross any efficiency bar or before he was promoted to any post in an officiating or substantive capacity or on an ad hoc basis; or

(b) any entry against which a representation is pending, provided that the representation is also taken into consideration along with the entry; or

(c) any report of the Vigilance Establishment constituted under the Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965.

(2क) प्रत्येक ऐसे विनिश्चय के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लोक हित में किया गया है ।

(3) "नियुक्ति प्राधिकारी" अभिव्यक्ति से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे उस पद या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक से सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या वह सेवानिवृत्त होना चाहता है, अधिष्ठायी नियुक्तियां करने की तत्समय शक्ति प्राप्त है ; और "अर्हक सेवा" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो कि उसका सेवानिवृत्ति पेंशन से संबंधित सुसंगत नियमों में है ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसा प्रत्येक आदेश, जिसमें सरकारी सेवक से इस नियम के खंड (घ) के प्रथम परन्तुक के अधीन तुरंत सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की गई है, उसके जारी किए जाने की तारीख के अपराह्न से प्रभावी होगा, परन्तु यह कि यदि उसके जारी किए जाने की तारीख के पश्चात्, संबंधित सरकारी सेवक, सद्भाविक रूप से और उस आदेश से अनभिज्ञ होते हुए, अपने पद से संबंधित कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्य, इस तथ्य के होते हुए भी कि वह इससे पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका है, विधिमान्य समझे जाएंगे ।"

(2A) Every such decision shall be deemed to have been taken in the public interest.

(3) The expression appointing authority means the authority which for the time being has the power to make substantive appointments to the post or service from which the Government servant is required or wants to retire; and the expression 'qualifying service' shall have the same meaning as in the relevant Rules relating to retiring pension.

(4) Every order of the appointing authority requiring a Government servant to retire forthwith under the first proviso to clause (d) of this rules shall have effect from the afternoon of the date of its issue, provided that if after the date of its issue, the Government servant concerned, bona fide and in ignorance of that order, performs the duties of his office his acts shall be deemed to be valid notwithstanding the fact of his having earlier retired."

उपर्युक्त नियम के पठन से यह स्पष्ट होता है कि किसी कर्मचारी को उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किया जा सकता है या सरकारी सेवक 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् या उसके द्वारा 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी भी समय नियम 56(ग) के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो सकता है । नियम 56 में यह उपबंधित है कि सरकार किसी सरकारी सेवक को सूचना दिए बिना या कम अवधि की सूचना की तामील करके सेवानिवृत्त कर सकती है और ऐसी सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवक, सूचना की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए, जितनी वह तीन मास से कम होती है, उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्तों की, यदि कोई हैं, रकम के समतुल्य राशि का, जिस दर पर वह इस सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राप्त कर रहा था, दावा करने का हकदार होगा । सरकार, किसी सरकारी सेवक को किसी सूचना के बिना या कम अवधि की सूचना देकर, सरकारी सेवक से यह अपेक्षा किए बिना कि वह सूचना के बदले किसी शास्ति का संदाय करे, सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा देने के लिए स्वतंत्र है । नियम 56(घ) के परन्तुक में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित या अनुध्यात है, दी गई ऐसी सूचना केवल तभी प्रभावी होगी यदि उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और परन्तु किसी अनुध्यात अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में, सरकारी सेवक को उसकी सूचना के अवसान से पूर्व सूचित कर दिया जाएगा कि उसे स्वीकार नहीं किया गया है । इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि किसी सरकारी सेवक द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करते हुए एक बार दी गई सूचना उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय वापस नहीं ली जाएगी ।

नियम 56(ङ) में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे प्रत्येक सरकारी सेवक को, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होता है या जिससे सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे उपलब्ध होंगे । नियम 56(ङ) के परन्तुक में यह उपबंध है कि नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकानुसार ऐसे कर्मचारियों को, जो इस नियम के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्त होते हैं या जिन्हें स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, पेंशन और उपदान के प्रयोजनों के लिए पांच वर्ष या ऐसी अवधि की अतिरिक्त सेवा के फायदे अनुज्ञात किए जा सकेंगे जो उसने

तब पूरी की होती यदि वह अपनी अधिवर्षिता की साधारण तारीख तक सेवा में बना रहता ।

10. नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि नियम 56 के खंड (ग) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी का किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त करने का विनिश्चय तब किया जाएगा यदि वह लोक हित में प्रतीत होता है । यह स्पष्टीकरण दोनों आकस्मिकताओं में लागू होता है, अर्थात्, जब सरकार किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करती है या जब कोई कर्मचारी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करता है, न केवल जब सरकार किसी कर्मचारी को लोक हित में सेवानिवृत्त करने की वांछा करती है । उत्तर प्रदेश राज्य को यथा-लागू नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण स्पष्ट और संक्षिप्त है ।

11. हमारी राय में, क्या स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्वतः होती है या इसके लिए आदेश पारित करना आवश्यक है, यह उस विशिष्ट नियम में, जिसके अधीन सेवानिवृत्ति का आदेश किया जाना है या स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा की जाती है, प्रयुक्त शब्दावली पर निर्भर करेगा । प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति को लागू नियमों के साथ देखना होगा और किसी अन्य नियम का निर्वचन करने वाले न्यायालय के आदेश को लागू करते समय वह तात्विक रूप से समरूप होना चाहिए । नियम 56(2) किसी सरकारी सेवक से लोक हित में सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा करने के लिए सरकार का समाधान होने के संबंध में है । सरकार इस प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक से संबंधित किसी भी सामग्री पर विचार कर सकेगी और सतर्कता स्थापन से किसी रिपोर्ट की अध्यपेक्षा कर सकेगी ।

12. प्रत्यर्थियों ने **दिनेश चन्द्र संगमा** बनाम **असम राज्य** (उपर्युक्त) वाले निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने निम्नलिखित रूप में मताभिव्यक्ति की है :–

> "7. और आगे विचार करने के पूर्व यथासंशोधित मूल नियम 56 को देखना लाभप्रद होगा –
>
> मूल नियम 56. (क) किसी सरकारी सेवक के अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने की तारीख वह तारीख होती है जिसको उसकी आयु 55 वर्ष की हो जाए । लोक आधारों पर राज्य सरकार की मंजूरी से इस आयु के पश्चात् भी उसे सेवा में रखा जा सकता है जिस बात को अभिलिखित किया जाना चाहिए

और इस आयु के पश्चात् सरकारी सेवक को सेवा में बनाए रखने के लिए प्रस्थापनाएं अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिएं, अन्यथा नहीं ।

(ख) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी समुचित प्राधिकारी यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा करना लोक हित में है, सरकारी सेवक को, उसकी आयु 50 वर्ष की हो जाने पर या 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, दोनों में से जो बात भी पूर्ववर्ती हो, तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बजाय तीन मास का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त कर सकता है ।

(ग) कोई सरकारी सेवक 50 वर्ष की आयु हो जाने पर या 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, दोनों में से जो बात भी पूर्ववर्ती हो, समुचित प्राधिकारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकता है ।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मूल नियम 56(ख) के अधीन सरकार लोक हित में किसी सरकारी सेवक को उसकी आयु 50 वर्ष की हो जाने पर या 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, इनमें से जो बात भी पूर्ववर्ती हो, तीन मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले तीन मास का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त कर सकती है ।

8. जैसा कि सुज्ञात है, सरकारी सेवक, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त ही संविधान के अनुच्छेद 310 के अधीन पद धारण करते हैं । तथापि, अनुच्छेद 310 के अधीन प्रसाद विषयक सिद्धांत अनुच्छेद 311(2) द्वारा परिसीमित है जाता है । यह स्पष्ट है कि किसी स्थायी सरकारी सेवक की सेवाओं का पर्यवसान संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अध्यधीन रहते हुए अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए नियमों के तथा मूल अधिकारों के अनुसार ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं । यह भी सुस्थापित है कि किसी अस्थायी सरकारी सेवक या परिवीक्षाधीन व्यक्ति को भी अनुच्छेद 311(2) के अनुसार ही पदच्युत किया जा सकता है अथवा पद से हटाया जा सकता है या पंक्तिच्युत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । प्रसाद विषयक उपरोक्त सिद्धांत सरकार उस दशा में लोक हित में ही लागू करती है जब कि सरकारी सेवक 50 वर्ष का हो गया हो या उसने

25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । यह बात मूल नियम 56(ख) के अधीन अनिवार्य पर्यवसान के रूप में सांविधानिक रूप से अनुज्ञेय है और यह दंड के तौर पर पद से हटाए जाने या पदच्युति की कोटि में नहीं आती है । जबकि सरकार किसी सरकारी सेवक को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का अधिकार आरक्षित रखती है, सरकारी सेवक को मूल नियम 56(ग) के अधीन सरकार को तीन मास की लिखित सूचना देकर स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने का तत्समान अधिकार भी प्राप्त है । जब सरकारी सेवक ने मूल नियम 56(ग) के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग किया हो तब स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने के अनुरोध के सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । अतः, श्री नीरेन डे के लिए इस स्थिति को स्वीकार करना ठीक ही है ।

* * * * * *

13. मूल नियम 56 ऐसा कानूनी नियम है जो कि सरकार और सरकारी सेवक दोनों को ही आबद्ध करता है । अतः, नियम 56(ग) में परिकल्पित सेवा की शर्त को जो कि सरकारी सेवक को स्पष्ट शब्दों में 50 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् या 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् तीन मास की पूर्व सूचना से स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने का विकल्प प्रदान करती है, नियम 119 के स्पष्टीकरण 2 में परिकल्पित नियोजन की संविदा के तुल्य नहीं माना जा सकता है ।

14. नियम 119 के स्पष्टीकरण 2 से मूल नियम 56 का क्षेत्र अनियंत्रित रह जाता है । स्पष्टीकरण 2 में "उसके नियोजन की संविदा" शब्द इस विषय पर निश्चायक हैं ।

* * * * * *

17. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके विधि संबंधी गलती की है कि मूल नियम 56(ग) के अधीन अपीलार्थी की स्वेच्छया सेवानिवृत्ति को विधिक प्रभाव देने के लिए सरकार की सम्मति आवश्यक थी । चूंकि इस मामले में मूल नियम 56(ग) की शर्तें पूरी हो गई हैं इसलिए अपीलार्थी के बारे में यह अभिनिर्धारित करना होगा कि वह, उसके द्वारा यथा-अधिसूचित रूप से, 2 अगस्त, 1976 से विधिपूर्ण रूप से सेवानिवृत्त हो गया था ।'

13. यह निवेदन किया गया था कि किसी समरूप भाषा के अभाव के

बावजूद, **दिनेश चन्द्र संगमा** (उपर्युक्त) वाले मामले में अंतर्वलित नियम की तुलना उत्तर प्रदेश मूल नियमों से की जा सकती है और इसलिए यह निर्णय बाध्यकारी है । इस पर आधारित निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उसमें जिस नियम 56(ख)(ग) पर विचार किया गया था वह किंचित भिन्न था और नियम 56 का कोई स्पष्टीकरण नहीं था ।

14. **दिनेश चन्द्र संगमा** (उपर्युक्त) वाले मामले में, वह असम राज्य के डिबरूगढ़ में जिला और सेशन न्यायाधीश था । वह घरेलू परेशानियों के कारण 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा में बने रहना नहीं चाहता था । उसने असम के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन तारीख 22 जुलाई, 1975 की अधिसूचना द्वारा यथा-संशोधित नियम 56(ग) के अधीन एक सूचना की तामील की । उसके द्वारा औपचारिक सूचना की तामील की गई । सरकार ने उसे राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया और इसके बाद सरकार में कतिपय गतिविधियां हुई थीं और सरकार ने अपनी कार्यवाहियों पर पुनः विचार करना चाहा और उसने उसे सेवा से निवृत्त होने के लिए अनुज्ञात करने वाले अपने पूर्ववर्ती आदेश को रद्द करते हुए तारीख 28 जुलाई, 1976 को एक आदेश पारित किया । उच्च न्यायालय ने उसके द्वारा फाइल किया गया रिट आवेदन खारिज कर दिया । असम राज्य में यथा-लागू मूल नियमों पर विचार किया गया । हमारी राय में, यह पूर्णतः भिन्न था । असम राज्य में यथा-लागू मूल नियम 56(ख) में यह उपबंधित है कि जब कोई सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होता है तो लोक हित मूल रूप से तात्विक था । नियम 56(ग) के अधीन कोई सरकारी सेवक कम से कम तीन मास की सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकता है । अतः, यह मत व्यक्त किया गया था कि जब सरकारी सेवक नियम 56(ग) के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो सरकार द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध को स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं था । न केवल यह नियम भिन्न था बल्कि यह रियायत के आधार पर भी पारित किया गया था, तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य में नियम 56 में दिया गया स्पष्टीकरण इसे पूर्णतः भिन्न बनाता है और मूल नियम 56(ग) के उपबंध भी पूर्णतः भिन्न हैं । सरकार द्वारा सेवानिवृत्त करने के प्रयोजनार्थ असम में लागू नियम मूल नियम 56(ख) में अंतर्विष्ट है, जिसमें लोक हित में सेवानिवृत्त करने की अपेक्षा की गई है जबकि मूल नियम 56(ग) में ऐसी कोई शर्त विद्यमान नहीं है जब कर्मचारी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करता है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में लागू

नियम में दोनों उपबंधों को साथ-साथ पढ़ने पर न केवल भाषा भिन्न है बल्कि स्पष्टीकरण से संपूर्ण अंतर पड़ता है ।

15. उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-लागू नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि जब नियम 56 के खंड (ग) के अधीन प्राधिकारी द्वारा कोई विनिश्चय किया जाता है तो सेवानिवृत्त होने संबंधी कर्मचारी के अधिकार के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह आत्यांतिक है जैसा कि त्यागपत्र देने की दशा में होता है, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त होते हैं जबकि त्यागपत्र की दशा में यह आवश्यक नहीं है कि वे फायदे प्राप्त हों । उत्तर प्रदेश राज्य में लागू नियमों के अधीन किया जाने वाला विनिश्चय लोक हित पर विचार करने पर आधारित होना चाहिए चाहे वह सरकार द्वारा सेवानिवृत्त करने का मामला हो या किसी सरकारी सेवक द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने का मामला हो । **दिनेश चन्द्र संगमा** (उपर्युक्त) वाले मामले में दिया गया विनिश्चय प्रभेद्य हैं और वह भिन्न रूप से प्रारूपित नियम पर आधारित था । उत्तर प्रदेश राज्य में इसमें जोड़ा गया स्पष्टीकरण इन उपबंधों को भिन्न बनाता है । **दिनेश चन्द्र संगमा** (उपर्युक्त) वाले मामले में किए गए विनिश्चय को प्रवर्तनीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह पूर्णत प्रभेदनीय है ।

16. प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल द्वारा **बी. जे. शैलत** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय का भी अवलंब लिया गया है । उस मामले में न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

> "7. बाम्बे सिविल सर्विसेज़ रूल्स के नियम 161 में अधिवर्षिता की आयु से पूर्व सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति का उपबंध है । नियम 161(1)(कक) में निम्नलिखित उपबंध है :–
>
> खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी –
>
> (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसा करना लोक हित में है तो उसे ऐसे सरकारी सेवक को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना या ऐसी सूचना के बदले वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसे खंड (क) लागू होता है :

---

[1] [1979] 2 उम. नि. प. 242 = (1978) 2 एस. सी. सी. 202.

* * * * *

उपनियम (2)(ii) निम्नलिखित रूप में है –

> ऐसा सरकारी सेवक जिसे खंड (क) लागू होता है, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर ... और किसी अन्य मामले में 50 वर्ष की आयु का होने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो सकता है ।

इस विषय में विवाद नहीं है कि लागू होने वाला नियम 161(1)(ii) है और अपीलार्थी 55 वर्ष की आयु का होने के पश्चात् तीन मास से अन्यून की सूचना देकर सेवानिवृत्त होने का हकदार है । नियम 161(1)(कक)(1) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे सरकारी सेवक को जिसे खंड (क) लागू होता है, तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना या ऐसी सूचना के बदले तीन मास का वेतन और भत्ते देकर लोक हित में सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है । किन्तु सरकारी सेवक को ऐसा पूर्ण अधिकार नहीं है । सरकारी सेवक को नियम 161(2)(ii) के अधीन विहित आयु का होने पर तीन मास से अन्यून की सूचना देकर सेवानिवृत्त होने का अधिकार प्रदान किया गया है । ऐसा अधिकार उस उपनियम में दिए गए परन्तुक के अधीन है, जो निम्नलिखित रूप में है :

> परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे सरकारी सेवक की सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा रोक लेने की छूट है जो निलंबित है या जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित है या अनुध्यात है और जो इस उपखंड के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहता है ।

किन्तु परन्तुक के अभाव में सरकारी सेवक विहित आयु का होने पर नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त होने के लिए स्वतंत्र होगा । इस स्थिति को इस न्यायालय में दिनेश चन्द्र संगमा **बनाम** असम राज्य और अन्य [1978] 4 उम. नि. प. 249 = (1977) 4 एस. सी. सी. 441 में स्पष्ट कर दिया है जिसमें न्यायालय असम के मूल नियम 56(ग) के प्रभाव पर विचार कर रहा था जिसमें सरकारी सेवक को स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने का अधिकार प्रदान किया गया है । असम मूल नियम का नियम 56(ग) निम्नलिखित रूप में है –

> (ग) कोई भी सरकारी सेवक, समुचित प्राधिकारी को तीन

> मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर, पचास वर्ष की आयु का होने या 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात्, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा से निवृत्त हो सकता है ।

न्यायालय ने नियम के अर्थान्वयन के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि सेवा की इस शर्त की, जो नियम 56(ग) में परिकल्पित है, जिसके द्वारा सरकारी सेवक को पचास वर्ष की आयु का होने या 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् तीन मास की पूर्व सूचना देकर स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने का पूर्ण विकल्प दिया गया है, भारत रक्षा नियमों के नियम 119 के स्पष्टीकरण 2 में परिकल्पित नियोजन की संविदा से समानता नहीं की जा सकती और नियम 56 कानूनी शर्त है जो विधि के अनुसार नियोजन की संविदा के प्रति निर्देश किए बिना प्रवर्तित होती है और जब मूल नियम 56(ग) की शर्तें पूरी हो जाती हैं तब यही अभिनिर्धारित करना होगा कि सरकारी सेवक विधिपूर्ण रूप से सेवानिवृत्त हो गया है । नियम 161(2)(ii) के अभाव में इस न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत मामले में किया गया विनिश्चय लागू होता और अधिकार आत्यांतिक होता । किन्तु परन्तुक में सरकारी सेवक को दिए गए अधिकार को निर्बंधित कर दिया गया है । परन्तुक के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी को इस बात की छूट है कि वह सरकारी सेवक को उस दशा में सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा न दे जबकि (1) वह निलंबित हो या (2) उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो या अनुध्यात हो । इस प्रकार सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस दशा में रोकी जा सकती है जब या तो सरकारी सेवक निलंबित हो या उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित या अनुध्यात हो । अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया था कि स्वीकृत रूप से वह उस समय निलंबित नहीं था जब वह 55 वर्ष की आयु का हुआ था और उसके विरुद्ध ऐसी विभागीय कार्यवाही लंबित या अनुध्यात नहीं थी जैसा कि परन्तुक में अपेक्षित है । कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी, किन्तु तथ्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्यवाही अनुध्यात नहीं थी ।

* * * * * *

9. श्री पटेल ने इसके बाद हमारे समक्ष वैबस्टर की थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में 'विदहोल्ड' शब्द के अर्थ का उल्लेख किया है जो 'रोक रखना' दिया गया है और यह निवेदन किया है कि

अनुज्ञा तब रोकी गई समझ ली जानी चाहिए जब उसकी संसूचना न दी गई हो । हम 'विदहोल्ड' शब्द का यह अर्थ लेने में असमर्थ हैं कि संसूचना के अभाव में यही मानना होगा कि अनुज्ञा रोक ली गई है ।"

बी. जे. शैलत (उपर्युक्त) वाले मामले में जो नियम विचारार्थ आया वह बाम्बे सिविल सर्विसेज़ रूल्स, 1959 का नियम 161 था । नियम 161(1)(कक) में यह उपबंधित है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को कम से कम तीन मास की सूचना या उसके बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर लोक हित में सेवानिवृत्त कर सकेगा । नियम 161(2)(ii) में, जब सरकारी सेवक स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करता है उस दशा में लोक हित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था । यह उत्तर प्रदेश राज्य में लागू नियम में जोड़ा गया है । उपर्युक्त नियमों में ऐसा कोई उपबंध भी नहीं है जिसमें किसी सरकारी सेवक द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने संबंधी आवेदन का विनिश्चय करने के लिए और वह भी लोक हित को विचार में रखते हुए, कोई आदेश पारित करने की अपेक्षा की गई हो । नियमों के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे किसी सरकारी सेवक को, जो कि निलंबनाधीन है या जिसके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित या अनुध्यात है, सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा को रोकने के लिए स्वतंत्र है । **बी. जे. शैलत** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा जिन नियमों पर विचार किया गया था, वे भिन्न थे और उनमें उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-लागू मूल नियम 56 में सम्मिलित स्पष्टीकरण जैसा उपबंध अंतर्विष्ट नहीं था । उस संदर्भ में विचार-विमर्श किया गया है और उसे उत्तर प्रदेश में भिन्न रूप में प्रारूपित किसी नियम को लागू नहीं किया जा सकता है ।

17. **मुम्बई राज्य** बनाम **यूनाइटेड मोटर्स**[1] और **बंगाल इम्यूनिटी** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों का भी अवलंब लिया गया था, जिनमें यह मत व्यक्त किया गया है कि स्पष्टीकरण का पठन परन्तुक के रूप में किया जा सकता है और यह मुख्य उपबंध की व्याप्ति को स्पष्ट करता है और स्पष्टीकरण मुख्य धारा का भाग बन जाता है । उपर्युक्त प्रतिपादना के संबंध में कोई विवाद नहीं है । प्रश्नगत नियमों में स्पष्टीकरण को नियम 56(ग) में यथा-अनुध्यात दोनों स्थितियों में लागू करना होगा और यह दोनों आकस्मिकताओं को लागू

---

[1] ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 252.

[2] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661.

होता है, अर्थात्, न केवल जब सरकार किसी कर्मकारी को सेवानिवृत्त करने का विनिश्चय करती है बल्कि वहां भी लागू होगा जहां किसी कर्मचारी द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा की जाती है । यह नहीं कहा जा सकता है कि स्पष्टीकरण द्वारा ऐसी किसी दशा में कोई अतिरिक्त निर्बंधन नहीं जोड़ा गया है जहां किसी कर्मचारी ने स्वेच्छया सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का विनिश्चय किया है । लोक हित एक प्रमुख विचारणा है, जिस पर प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू नियमों के अनुसार ऐसी प्रार्थना के संबंध में विनिश्चय करना है ।

18. इस बात पर भी जोर दिया गया था कि विधि के नियम की निश्चितता के सिद्धांत प्रस्तुत मामले में समान रूप से लागू होते हैं । **हरियाणा राज्य** बनाम **एस. के. सिंघल**[1] वाले विनिश्चय का अवलंब लिया गया है । इस मामले में इस न्यायालय ने पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 5.32(ख) पर विचार किया और निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

> "6. पंजाब सिविल सर्विसेज़ रूल्स, (खंड II) का उक्त नियम 5.32(ख) निम्नलिखित रूप में है –
>
> > 'नियम 5.32(ख)(1) कोई सरकारी कर्मचारी बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून अवधि की सूचना देकर सेवा से निवृत्त हो सकेगा । तथापि, कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास से कम अवधि की सूचना स्वीकार करने के लिए लिखित में उसके लिए कारण देते हुए अनुरोध कर सकेगा । नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर, तीन मास की सूचना की अवधि को कम करने संबंधी ऐसे अनुरोध पर गुणागुण के आधार पर विचार कर सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सूचना की अवधि को कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा कारित नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास की सूचना की अपेक्षा को इस शर्त पर शिथिल कर सकेगा कि सरकारी कर्मचारी तीन मास की सूचना की अवधि के अवसान से पूर्व अपनी पेंशन के एक भाग के सरांशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा ।

---

[1] (1999) 4 एस. सी. सी. 293.

(2) उपनियम (1) के अधीन दी गई स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना को पंजाब सिविल सर्विसेज़ रूल्स, खंड II के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत करना अपेक्षित होगा :

परन्तु जहां नियुक्ति प्राधिकारी ऊपर उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है वहां सेवानिवृत्ति उक्त अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो जाएगी :

परन्तु यह और कि इससे पूर्व कि कोई सरकारी कर्मचारी उपनियम (1) के प्रतिनिर्देश से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना दे, उसे समुचित प्राधिकारी को निर्देश करने के माध्यम से अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि उसने वास्तव में पेंशन के लिए बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है ।'

* * * * * *

8. यह अवेक्षणीय होगा कि नियम 5.32(ख) के अधीन कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसने 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून अवधि की सूचना देकर सेवा से निवृत्त हो सकेगा । तीन मास की सूचना अवधि को शिथिल करने के लिए अनुरोध करने और उस पर विचार किए जाने का उपबंध है । नियुक्ति प्राधिकारी को क्या करना है, इस संबंध में वह उपनियम (2) द्वारा समान रूप से शासित होता है । उस उपनियम में यह कहा गया है कि उपनियम (1) के अधीन दी गई स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना को पंजाब सिविल सर्विसेज़ रूल्स, खंड II के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत करना अपेक्षित 'होगा' । इस अनुरोध की स्वीकृति नियमों के नियम 2.2 के अध्यधीन है । किन्तु नियम 5.32(ख) के उपनियम (2) के परन्तुक में यह कहा गया है कि यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने संबंधी अनुज्ञा से इनकार नहीं किया जाता है तो सेवानिवृत्ति उक्त अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो जाएगी । अतः, यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और उसने नियम 5.32(ख) के अधीन तीन मास की सूचना दे दी है (या यदि तीन मास की अवधि को शिथिल करने संबंधी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है) तो वह अनुरोध पंजाब सिविल सर्विसेज़ रूल्स (खंड II) के नियम 2.2

के उपबंध का अवलंब लेने के अध्यधीन स्वीकृत कर लिया 'जाएगा' । नियम 2.2 के अधीन, पेंशन की प्रत्येक मंजूरी के लिए किसी कर्मचारी का भावी अच्छा आचरण एक विवक्षित शर्त है । अन्य शब्दों में, इससे केवल यह अभिप्रेत है कि भले ही स्वेच्छया सेवानिवृत्ति आज्ञापक हो तो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी पर ऐसी सेवानिवृत्ति के पश्चात् अच्छा आचरण बनाए रखने की बाध्यता डाली गई है । 'भावी अच्छा आचरण' शब्दों से सेवानिवृत्ति के पश्चात् अच्छा आचरण अभिप्रेत है । यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् अच्छा आचरण नहीं बनाए रखता है तो सरकार, यदि उसे गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या यदि गंभीर अवचार का दोषी है, पेंशन या उसके एक भाग को रोक सकती है या वापस ले सकती है । संपूर्ण पेंशन या उसके एक भाग को रोकने या वापस लेने का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा, अर्थात्, जहां तक सरकारी अधिक्रम का संबंध है । यह अवेक्षणीय होगा कि नियम 2.2, तीन मास के अवसान पर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्वतः प्रवृत्त होने में बाधा नहीं डालता है और यह केवल कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन को वापस लेने या रोकने के लिए समर्थ बनाता है ।

9. सरकारी सेवकों का नियोजन नियमों द्वारा शासित होता है । इन नियमों में अधिवर्षिता की आयु के रूप में एक विशेष आयु का उपबंध किया गया है । तथापि, इन नियमों में सरकार को किसी कर्मचारी को अधिवर्षिता की आयु से पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसकी सेवा संतोषप्रद नहीं पाई गई है, बशर्ते उस कर्मचारी ने एक विशिष्ट आयु पूरी कर ली हो या विशेष वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो । इन नियमों में यह भी उपबंध किया गया है कि कोई ऐसा कर्मचारी, जिसने अपनी आयु के कथित वर्ष पूरे कर लिए हैं या जिसने विहित वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, मान लीजिए तीन मास की ऐसी सूचना दे सकेगा कि वह तीन मास की उक्त अवधि के अवसान पर स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो जाएगा । कुछ नियमों को ऐसी भाषा में प्रारूपित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर कर्मचारी की स्वतः सेवानिवृत्ति हो जाती है । दूसरी ओर, कुछ अन्य विभागों में कतिपय नियमों को ऐसी भाषा में प्रारूपित

किया जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर भी सेवानिवृत्ति स्वतः नहीं होती है और अनुज्ञा प्रदान करने वाला अभिव्यक्त आदेश अपेक्षित होता है और उसे संसूचित करना होता है । पश्चात्वर्ती प्रकार के नियमों में, सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् ऐसी स्वीकृति संसूचित किए जाने तक मालिक और सेवक का संबंध बना रहता है ; अनुज्ञा देने से इनकार करने की संसूचना तीन मास के पश्चात् भी दी जा सकती है और कर्मचारी सेवा में बना रहता है । दिनेश चन्द्र संगमा **बनाम** असम राज्य [1978] 4 उम. नि. प. 249 = (1977) 4 एस. सी. सी. 441, बी. जे. शैलत **बनाम** गुजरात राज्य [1979] 2 उम. नि. प. 242 = (1978) 2 एस. सी. सी. 202 और भारत संघ **बनाम** सैयद मुजफ्फर मीर [(1995) सप्ली. 1 एस. सी. सी. 76] वाले मामले पूर्ववर्ती प्रवर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवधि के अवसान पर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्वतः प्रभावी हो जाती है क्योंकि सूचना की अवधि के भीतर उससे इनकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश होर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड **बनाम** सुमन बिहारी शर्मा [(1996) 4 एस. सी. सी. 584] वाला मामला दूसरे प्रवर्ग के अंतर्गत आता है, जिसमें उप-विधियों का निर्वचन इस प्रकार किया गया था कि उसमें सेवानिवृत्त होने का विकल्प नहीं दिया गया है किन्तु उसमें सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने का केवल सीमित अधिकार ही उपबंधित है जिसके अनुसार, नियोजक की सहमति की आवश्यकता विवक्षित होती है भले ही सूचना की अवधि समाप्त हो गई है । हम इन दो प्रवर्गों के प्रति कुछ विस्तार से निर्देश करेंगे ।

* * * * * *

13. अतः, उपर्युक्त तीन विनिश्चयों से यह स्पष्ट होता है कि यदि सुसंगत नियमों द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का अधिकार आत्यांतिक निबंधनों में प्रदान कर दिया जाता है, जैसा कि दिनेश चन्द्र संगमा वाले मामले में किया गया है, और नियमों में कतिपय आकस्मिकताओं में अनुज्ञा को रोकने का कोई उपबंध नहीं है तो स्वेच्छया सेवानिवृत्ति सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर स्वतः प्रभावी हो जाती है । तथापि, यदि, जैसा कि बी. जे. शैलत वाले मामले में है, और जैसा कि सैयद मुजफ्फर मीर वाले मामले में है,

संबंधित प्राधिकारी, यदि कतिपय स्थितियां विद्यमान हैं, अर्थात्, यदि कर्मचारी निलंबनाधीन है या यदि कोई विभागीय जांच लंबित या अनुध्यात है, सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा को रोकने के लिए सशक्त है तो मात्र निलंबन या विभागीय जांच के लंबित या अनुध्यात होने के परिणामस्वरूप, विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना प्रभावी नहीं होती है । इसके अतिरिक्त, जो कुछ आवश्यक होता है वह यह है कि संबंधित प्राधिकारी को सूचना अवधि के अवसान से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा रोकने वाला सकारात्मक आदेश अवश्य पारित करना चाहिए और उसे कर्मचारी को संसूचित भी करना चाहिए, जैसा कि बी. जे. शैलत वाले मामले में और सैयद मुजफ्फर मीर वाले मामले में कहा गया है । परिणामस्वरूप, सूचना को स्वीकार करने संबंधी आदेश कर्मचारी को संसूचित किए जाने की कोई अपेक्षा नहीं है और न ही यह कहा जा सकता है कि स्वीकृति को संसूचित न करना अनुज्ञा को रोकने की कोटि में आने वाला नहीं माना जाना चाहिए ।

* * * * * *

18. हमारे समक्ष वाले मामले में, नियम 5.32(ख) के उपनियम (1) में 'सेवानिवृत्त होने की सूचना' अनुध्यात है न कि सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा की ईप्सा करने संबंधी अनुरोध अनुध्यात है । उपनियम द्वारा अनुध्यात अगला 'अनुरोध' केवल तीन मास की अवधि से छूट प्राप्त करने की ईप्सा के लिए है । उपनियम (2) के परन्तुक में यह सकारात्मक उपबंध किया गया है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है वहां सेवानिवृत्ति उक्त अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो जाएगी । हमारे समक्ष वाला मामला, जहां तक कर्मचारी का संबंध है, दिनेश चन्द्र संगमा वाले मामले के मुकाबले अधिक मजबूत आधार पर आधारित है । जैसा कि पहले कथन किया गया है, पंजाब सिविल सर्विसेज़ रूल्स खंड II किसी ऐसे व्यक्ति की, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, पेंशन को रोकने या वापस लेने की स्थिति के संबंध में है ।"

19. पंजाब नियमों के नियम 5.32(ख)(2) में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है वहां सेवानिवृत्ति उक्त अवधि के अवसान की

तारीख से प्रभावी हो जाएगी । उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-लागू मूल नियमों में अवधि के अवसान की तारीख से सूचना के प्रभावी होने के संबंध में ऐसा कोई उपबंध नहीं है । परन्तुक के संदर्भ में, सूचना अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो जाती है, इस संदर्भ में इस न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में ये मताभिव्यक्तियां की हैं कि नियम 2.2 तीन मास के अवसान पर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के स्वतः प्रवृत्त होने के संबंध में बाधक नहीं है ।

20. **हरियाणा राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि कुछ नियमों को ऐसी भाषा में प्रारूपित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी द्वारा दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर कर्मचारी की स्वतः सेवानिवृत्ति हो जाती है । दूसरी ओर, कुछ अन्य विभागों में कतिपय नियमों को ऐसी भाषा में प्रारूपित किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर भी सेवानिवृत्ति स्वतः नहीं होती है और अनुज्ञा प्रदान करने वाला अभिव्यक्त आदेश अपेक्षित होता है और उसे संसूचित करना होता है । पश्चात्वर्ती प्रकार के नियमों में, सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् ऐसी स्वीकृति संसूचित किए जाने तक मालिक और सेवक का संबंध बना रहता है ; अनुज्ञा देने से इनकार करने की संसूचना तीन मास के पश्चात् भी दी जा सकती है और कर्मचारी सेवा में बना रहता है । इस न्यायालय द्वारा की गई उपर्युक्त पश्चात्वर्ती मताभिव्यक्तियां ही, उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-लागू प्रश्नगत नियम को समान रूप से लागू होती हैं ।

21. **हिमाचल प्रदेश होर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड** बनाम **सुमन बिहारी शर्मा**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय ने लागू उप-विधियों में प्रयुक्त भाषा पर विचार किया । यह मत व्यक्त किया गया था कि यदि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने में समर्थ नहीं होगा । न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

> "8. उप-विधि के खंड (2) में अन्य बातों के साथ-साथ, 25 वर्ष की सेवा पूरी करने या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, एच.पी.एम.सी. की सेवा से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए उपबंध किया गया है । तथापि, कर्मचारी को उस निमित्त अनुरोध करने का अधिकार प्राप्त है और उसका अनुरोध केवल तभी

[1] (1996) 4 एस. सी. सी. 584.

प्रभावी होगा यदि उसे सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है । 'उसके अनुरोध पर....अनुज्ञात किया जा सकेगा' शब्दों से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि उक्त खंड द्वारा कर्मचारी को या तो 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है । इसके द्वारा कर्मचारी को यह अनुरोध करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि उसे सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाए । स्पष्टतः, यदि वह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है और अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तो कर्मचारी, जैसी कि उसके द्वारा वांछा की गई है, सेवानिवृत्त होने में समर्थ नहीं होगा । उप-विधि का पैरा (5), पैरा (2) के अपवाद की प्रकृति का है और इसके द्वारा ऐसे कर्मचारी को, जिसने 25 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने के लिए उस दशा में अनुज्ञात किया गया है यदि उसने 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है । वह लिखित में तीन मास की सूचना देकर ऐसा कर सकता है । एच.पी.एम.सी. की ओर से विद्वान् काउन्सेल की दलील यह थी कि यद्यपि उप-विधि के पैरा 5 द्वारा पैरा (2) में विहित शर्तों को शिथिल किया गया है तथापि, वह शिथिलता केवल सेवा की अवधि और 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने की बाबत है और इसका पठन इस अर्थ में नहीं किया जा सकता है कि अनुज्ञा लेने संबंधी अपेक्षा को अभिमुक्त कर दिया गया है । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी है कि चूंकि पैरा 5 'पैरा (2) के अधीन किसी उपबंध के होते हुए भी' शब्दों से आरंभ होता है और उसमें 'उसके अनुरोध पर....अनुज्ञात किया जा सकेगा' शब्द नहीं हैं इसलिए इसका यह अर्थ होगा कि कर्मचारी को तीन मास की सूचना देने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने का अधिकार प्राप्त है और ऐसे अनुरोध की स्वीकृति आवश्यक नहीं है । हम प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल द्वारा किए गए निर्वचन से सहमत नहीं हो सकते हैं । उप-विधि को समग्र रूप में पढ़ना होगा । उसका पैरा (2) कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध करने का अधिकार प्रदान करता है किन्तु यह वांछा केवल तभी मूर्त रूप धारण करेगी यदि उसे सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है अन्यथा नहीं । साधारणतया, इस प्रकार के मामले में ऐसा कर्मचारी, जिसने कम वर्षों की सेवा पूरी की है उस

कर्मचारी से, जिसने अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, बेहतर स्थिति में नहीं होगा । उप-विधि के पैरा 5 को विरचित करते समय नियम बनाने वाले प्राधिकारी का आशय यह नहीं हो सकता है कि ऐसे कर्मचारी को लिखित में तीन मास की सूचना देने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने का बेहतर और बृहत्तर अधिकार प्रदान किया जाए । पैरा 5 में 'सेवानिवृत्ति की ईप्सा' शब्दों से यह उपदर्शित होता है कि उसके द्वारा जो अधिकार प्रदत्त किया गया है वह सेवानिवृत्त होने का अधिकार नहीं है बल्कि सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध करने का अधिकार है । 'ईप्सा' शब्द से कर्मचारी द्वारा अनुरोध करना और एच.पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृति या अनुज्ञात करना विवक्षित होता है । अतः, तीन मास की अवधि के अवसान पर स्वतः सेवानिवृत्ति नहीं हो सकती या सेवा संबंधी संबंधों को समाप्त नहीं किया जा सकता ।"

22. **पदुबिदरी दामोदर शिनाय** बनाम **इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड और एक अन्य**[1] वाले मामले में सेवा से ऐसी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का प्रश्न उद्भूत हुआ था, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करके स्वीकार नहीं किया गया था । यह मामला इस न्यायालय तक आया । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति प्रवृत्त नहीं हुई थी । न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

"33. विनियम 12 में यह उपदर्शित करने वाली कोई बात नहीं है कि यदि नियोजक स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के अनुमोदन को रोक लेने का विनिश्चय करता है तो अनुमोदन प्रदान करने से ऐसी इनकारी याची को सूचना की अवधि के दौरान अवश्य ही संसूचित की जानी चाहिए । यह सही है कि किसी कर्मचारी द्वारा खंड (ख) के अंतर्गत आने वाली स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए दी गई तीन मास की सूचना तब भी विधिमान्य रहती है भले ही सूचना की अवधि के भीतर कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है किन्तु यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन करने पर ही प्रभावी होती है । वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारों द्वारा यही अर्थ लगाया गया है ।

34. अपीलार्थी ने विनियम 12(ख) के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए तारीख 30 सितम्बर, 2005 को एक सूचना जारी की । सूचना की अवधि 31 दिसम्बर, 2005 को समाप्त होनी थी ।

---

[1] (2009) 10 एस. सी. सी. 514.

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि सक्षम प्राधिकारी ने तीन मास की सूचना की अवधि के भीतर अपीलार्थी को न तो अनुमोदन प्रदान किया और न ही उसका अननुमोदन उपदर्शित किया । कर्मचारी ने कभी यह नहीं माना कि तीन मास की सूचना की अवधि के अवसान पर उसका नियोजन समाप्त हो गया है चूंकि वह 31 दिसम्बर, 2005 के पश्चात् 30 जून, 2006 तक अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होता रहा । अपीलार्थी ने तारीख 8 जून, 2006 के अपने पत्र द्वारा ही प्रत्यर्थी से अपनी तारीख 30 सितम्बर, 2005 की सूचना के निबंधनानुसार 30 जून, 2006 तक भारमुक्त करने का अनुरोध किया और उसने 1 जुलाई, 2006 से कार्य करना बन्द कर दिया । तारीख 8 जून, 2006 के पत्र से कोई तात्विक अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि वास्तविकता यह है कि सूचना की अवधि के अवसान के पश्चात् अपीलार्थी उसके कई मास तक अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होता रहा था ।

35. प्रत्यर्थी ने तारीख 15 सितम्बर, 2006 के पत्र द्वारा अपीलार्थी को यह संसूचित किया कि सेवा विनियम 12(ख) के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति संबंधी उसके आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है । चूंकि किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जिसने 55 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है किन्तु 20 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, विनियम 12(ख) से संलग्न परन्तुक के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के अध्यधीन है और वह अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था इसलिए अपीलार्थी की स्वेच्छया सेवानिवृत्ति कभी प्रभावी नहीं हुई थी ।"

23. **सी. वी. फ्रांसिस** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यह नियम में प्रयुक्त भाषा पर निर्भर करेगा कि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना स्वतः प्रभावी होगी अथवा नहीं । स्कीम में ऐसा उपबंध करने वाला एक अनुबंध होना चाहिए कि उसके आवेदन को स्वीकार किए बिना भी यह समझा जाएगा कि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया था । प्रश्नगत नियमों में ऐसा कोई उपबंध नहीं है । **सी. वी. फ्रांसिस** (उपर्युक्त) वाले मामले में,

---

[1] (2013) 14 एस. सी. सी. 486.

इस न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

"13. यह सुस्थापित है कि किसी कंपनी द्वारा आरंभ की गई स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम किसी कर्मचारी को अधिकार स्वरूप उस स्कीम के फायदों के अधिकार के लिए हकदार नहीं बनाती । किसी कर्मचारी को स्कीम के निबंधनों के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए अथवा नहीं, यह एक ऐसा विनिश्चय है जो कि नियोजक कंपनी द्वारा ही लिया जा सकता है सिवाय ऐसे मामलों के जहां स्वयं स्कीम में सेवानिवृत्ति के तब प्रभावी होने का उपबंध किया गया है जब कि सूचना की अवधि समाप्त हो जाती है । किसी कंपनी द्वारा आरंभ की गई स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम आवश्यक रूप से फालतू कर्मचारियों की छंटनी करने संबंधी कंपनी की वांछा का एक भाग होती है ।

14. याची की यह दलील कि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए उसका आवेदन उसके द्वारा दी गई सूचना की अवधि के अवसान पर प्रभावी हो गया था, अवश्य ही असफल होनी चाहिए क्योंकि स्कीम में ऐसा कोई अनुबंध नहीं था कि उसके आवेदन को स्वीकार किए बिना भी यह समझा जाएगा कि याची का स्वेच्छया सेवानिवृत्ति संबंधी आवेदन स्वीकार कर लिया गया था । जब उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो याची का संपूर्ण पक्षकथन असफल होता है । अतः, टेक चन्द [(2001) 3 एस. सी. सी. 290] वाला विनिश्चय इस मामले के तथ्यों को लागू नहीं होता है, विशेषकर तब जब कि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति संबंधी उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था और उसे अपनी सेवाएं पुनः ग्रहण करने के लिए कहा गया था । याची इस स्थिति से पूर्णतः भिज्ञ था क्योंकि सूचना की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी वह छुट्टी के लिए आवेदन करता रहा ।"

24. प्रत्यर्थियों द्वारा **टेक चन्द** बनाम **दिले राम**[1] वाले विनिश्चय का अवलंब लिया गया है । इस न्यायालय ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48क(2) पर विचार किया, उक्त नियम के परन्तुक में एक यह उपबंध है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञा प्रदान नहीं करता है वहां सेवानिवृत्ति उक्त अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो

---

[1] (2001) 3 एस. सी. सी. 290.

जाएगी । सुसंगत मताभिव्यक्तियां इसमें इसके नीचे उद्धृत की जाती हैं :–

"31. यह विवादग्रस्त नहीं है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने निक्का राम द्वारा दिए गए तारीख 5 दिसम्बर, 1994 के उक्त आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं किया था । इसके अलावा, उक्त अवधि के भीतर उसे किसी प्रकार की कोई संसूचना नहीं दी गई थी । पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेल ने उच्च न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान नियमों के नियम 48क के प्रतिनिर्देश किया, जिसमें निस्संदेह उन्होंने अपना निर्वचन प्रस्तुत किया । चूंकि उक्त नियम तात्विक है और उसका संबंध अवधारित किए जाने वाले प्रश्न से है इसलिए उसे नीचे उद्धृत किया जाता है –

'48क. 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति – (1) कोई सरकारी सेवक बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून अवधि की सूचना देकर सेवा से निवृत्त हो सकेगा :

परन्तु यह उपनियम किसी ऐसे सरकारी सेवक को, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं, जो –

(i) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी.) कार्यक्रम और अन्य सहायता कार्यक्रमों के अधीन नियत कार्य पर है ।

(ii) मंत्रालयों/विभागों के विदेश स्थित कार्यालयों में विदेश में तैनात है ।

(iii) किसी विदेशी सरकार में विनिर्दिष्ट संविदागत नियत कार्य पर है, जब तक कि उसने भारत में स्थानांतरित किए जाने के पश्चात् भारत में किसी पद का भार ग्रहण कर लिया है और कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा कर ली है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन दी गई स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक होगा :

परन्तु जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है तो सेवानिवृत्ति उक्त अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो जाएगी ।'

* * * * * *

33. इस नियम के उपनियम (2) से यह स्पष्ट है कि नियुक्ति प्राधिकारी से उपनियम (1) के अधीन दी गई स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करना अपेक्षित है । नियुक्ति प्राधिकारी, उसे उपलब्ध किन्हीं आधारों पर इससे इनकार करने के लिए भी स्वतंत्र है किन्तु ऐसी इनकारी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व होनी चाहिए । उपनियम (2) का परन्तुक स्पष्ट है और अपने निबंधनानुसार निश्चित है । यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है तो ईप्सित सेवानिवृत्ति उक्त अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो जाती है । इस मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी ने स्वीकृत रूप से निक्का राम को तारीख 5 दिसम्बर, 1994 की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं किया था । प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने यह तर्क दिया कि सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति को स्वीकार करना आज्ञापक है । ऐसी अभिव्यक्त स्वीकृति के अभाव में सरकारी सेवक सेवा में बना रहता है । उसने इस निवेदन के समर्थन में हमारा ध्यान मूल नियमों के नियम 56(ट) की ओर आकृष्ट किया । उसने यह भी निवेदन किया कि स्वीकृति किसी पश्चात्वर्ती तारीख को, अर्थात्, सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् भी दी जा सकेगी और सेवानिवृत्ति सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी हो सकेगी । चूंकि नियम 48क के उपनियम (2) का परन्तुक स्वतः स्पष्ट है और उक्त नियम 48क स्वतः पूर्ण है इसलिए, हमारी राय में, अन्य उपबंधों की ओर वह भी इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा करना अनावश्यक है । इस तर्क के परिणामस्वरूप कि स्वीकृति सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से काफी समय पश्चात् भी दी जा सकती है और यह कि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी हो सकती है, नियम

विरुद्ध स्थिति पैदा हो जाएगी । मान लीजिए किसी मामले में यदि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति संबंधी आवेदन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के कुछ वर्ष पश्चात् स्वीकार किया जाता है और स्वेच्छया सेवानिवृत्ति सूचना की अवधि के अवसान की तारीख से ही प्रवर्तित हो जाती है तो सूचना के अवसान की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति को स्वीकार किए जाने की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे सरकारी सेवक की स्थिति या हैसियत क्या होगी ? क्या वह सेवा में बना रहता है या सेवा में नहीं बना रहता है । ये दोनों बातें नहीं हो सकती कि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति सूचना में उल्लिखित अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो सकेगी और फिर भी सरकारी सेवक स्वेच्छया सेवानिवृत्ति को स्वीकार किए जाने तक सेवा में बना रह सकेगा । नियमों के नियम 48क के उपनियम (2) के परन्तुक में ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है ।

* * * * * *

35. हमारी राय में, इस निर्णय से अपीलार्थी की ओर से इस संबंध में दी गई दलील को समर्थन मिलता है । इस निर्णय में यह मत व्यक्त किया गया है कि सूचना के पश्चात् स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने से संबंधित नियमों के तीन प्रवर्ग हैं । प्रथम प्रवर्ग में, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति सूचना की अवधि के अवसान पर स्वतः प्रवृत्त हो जाती है । दूसरे प्रवर्ग में भी, सेवानिवृत्ति तब प्रवृत्त हो जाती है यदि सूचना की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा को रोकने संबंधी कोई आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है और तीसरे प्रवर्ग में स्वेच्छया सेवानिवृत्ति तब तक प्रवृत्त नहीं होती जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुज्ञा प्रदान नहीं कर दी जाती है । ऐसी दशा में, अनुज्ञा देने से इनकारी सूचना अवधि के अवसान के पश्चात् भी संसूचित की जा सकती है । यह सब सुसंगत नियमों पर निर्भर करता है । विनिश्चित मामले में, सुसंगत नियमों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूचना का स्वीकार किया जाना अपेक्षित था और नियम के परन्तुक में आगे यह अधिकथित किया गया है कि सेवानिवृत्ति स्वतः प्रवृत्त हो जाएगी यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने सूचना की अवधि के दौरान अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं किया था । प्रत्यर्थी को सूचना की अवधि के दौरान इनकारी संसूचित नहीं की गई थी और न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्वेच्छया

सेवानिवृत्ति सूचना की अवधि के अवसान पर प्रवृत्त हो गई और उसे संसूचित किया गया यह पश्चात्वर्ती आदेश निष्प्रभावी था कि उसके बारे में यह नहीं समझा जा सकता था कि वह स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो गया है । प्रस्तुत मामला इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विनिश्चय में विनिश्चित मामले के लगभग समरूप है ।"

इस मामले में जिस नियम पर विचार किया गया वह पूर्णतः भिन्न था । प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत नियम में ऊपर निर्दिष्ट नियम 48क(2) के परन्तुक जैसा कोई उपबंध अंतर्विष्ट नहीं है जिसके कारण सेवानिवृत्ति सूचना की अवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो जाएगी यदि उससे इनकार नहीं किया गया था ।

25. हमारी सुविचारित राय में, उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-लागू नियम 56 के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना तीन मास की अवधि के अवसान पर स्वतः प्रभावी नहीं हुई है । प्रश्नगत नियम के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी को स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करना होता है या अनुज्ञेय आधारों पर उससे इनकार किया जा सकता है ।

26. हमारी राय में, नियम 56(ग) उस प्रवर्ग में नहीं आता है जहां कि कर्मचारी को स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । उपर्युक्त निर्णय को और इस न्यायालय द्वारा जो कुछ अभिनिर्धारित किया गया है, उसे देखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रार्थना में गुणागुण नहीं है कि यदि यह न्यायालय पूर्ववर्ती विनिश्चय का अनुसरण नहीं करता है तो इसे किसी बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित किया जाए क्योंकि हमने इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती विनिश्चयों में जो कुछ अभिनिर्धारित किया गया है, उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है । इस न्यायालय ने अनेक बार आधिकारिक रूप से यह विधि अधिकथित की है ।

27. प्रत्यर्थियों की ओर से **महंत धनमीर** बनाम **मदन मोहन**[1] वाले विनिश्चय के प्रति भी निर्देश किया गया है जिसमें इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जब तक बाध्यकारी कारण न हो तब तक विधि को अस्थिर नहीं किया जाना चाहिए । इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उक्त प्रतिपादना पहले ही अभिनिर्धारित की जा चुकी है । विधि को अस्थिर करने का कोई प्रश्न नहीं है बल्कि प्रश्न उसके लागू किए जाने का है जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नगत नियम में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में

---

[1] (1987) (सप्ली.) एस. सी. सी. 528.

रखते हुए प्रत्यर्थियों के हितों के विरुद्ध है । प्रत्यर्थियों द्वारा उपर्युक्त तर्क देकर विभिन्न विनिश्चयों की पकड़ से बच निकलने का विफल प्रयास किया गया है ।

28. इस बात पर भी जोर दिया गया था कि नियम 56(ग) कर्मचारी से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए कारण देने की अपेक्षा नहीं करता है । निस्संदेह, नियम 56(ग) के अधीन किसी कर्मचारी के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह कोई कारण दे, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को इस प्रार्थना पर विचार करते समय मूल नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण में यथा-उपबंधित लोक हित को ध्यान में रखना होता है ।

29. विद्वान् काउन्सेल ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियम 56(घ) के परन्तुक के बाहर नियुक्ति प्राधिकारी को किसी कर्मचारी की स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की सूचना को लोक हित के आधार पर नामंजूर करने का कोई साधारण अधिकार नहीं है । इस प्रयोजनार्थ, तीन निवेदन किए गए हैं । प्रथमतः, संविधान और विनिर्दिष्ट रूप से संविधान के भाग 3 के अधीन स्वाधीनता का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि स्वास्त्र्य और स्वाधीनता पर किसी भी निर्बंधन को विधि की मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए और विधि न्यायपूर्ण, ऋजु और युक्तियुक्त होनी चाहिए । वर्तमान में, संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन यथा-अधिनियमित कोई विधि नहीं है । द्वितीयतः, सरकारी कर्मचारी के अधिकार को और सरकार के अधिकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को शासित करने वाले मूल नियमों के निबंधनानुसार वर्णित किया गया है । अतः, यदि किन्हीं मूल नियमों में किसी कर्मचारी की साधारण स्वाधीनता को निर्बंधित नहीं किया गया है या नियोजक को किसी निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए सशक्त नहीं किया गया है तो अन्यथा की गई कार्यवाही अननुज्ञेय होगी । इस प्रयोजनार्थ, **मोती राम डेका** बनाम **जी. एम. नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे**[1] वाले मामले का अवलंब लिया गया है । यह भी निवेदन किया गया था कि लोक हित संबंधी निर्बंधन, जो राज्य को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में लागू होता है, अनुच्छेद 311 के कारण लागू होता है । न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त किया :–

> "27. इस संबंध में, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि अनुच्छेद 309 द्वारा अनुध्यात नियम बनाने वाले प्राधिकार का प्रयोग

[1] [1964] 5 एस. सी. आर. 683.

लोक सेवकों को अनुच्छेद 311(1) के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों को कम करने या उन्हें प्रभावित करने के लिए विधिमान्य रूप से नहीं किया जा सकता है । अनुच्छेद 311(1) का आशय उन लोक सेवकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है, जिन्हें किसी स्थायी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया जाता है और उन प्रमुख फायदों में से, जिनकी वे प्रत्याशा करने के हकदार हैं, एक फायदा नियमों द्वारा विहित अवधि के लिए लोक सेवा प्रदान करने के पश्चात् पेंशन का फायदा है । हम समझते हैं कि यह दलील देना विधिसम्मत नहीं होगा कि उस पेंशन को, जिसके लिए किसी स्थायी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया कोई सेवक हकदार है, अर्जित करने के अधिकार को अनुच्छेद 309 के अधीन विरचित नियमों द्वारा कम किया जा सकता है, जिससे कि उक्त अधिकार को या तो निष्प्रभावी या काल्पनिक बनाया जा सके । जब एक बार अनुच्छेद 311(1) और (2) की व्याप्ति को सम्यक् रूप से अवधारित कर दिया गया है तब यह अवश्य ही अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 309 के अधीन विरचित कोई नियम अनुच्छेद 311 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का अतिलंघन नहीं कर सकता है । यह स्थिति मूलभूत महत्व वाली है और प्रस्तुत अपीलों के संविवाद पर विचार करने के लिए इसे अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए ।"

30. **मोती राम डेका** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह वर्तमान मामले को लागू नहीं होता है चूंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार छीना गया है और सेवा नियम में, इससे असंबद्ध होकर लोक हित की संकल्पना के लिए उपबंध किया जा सकता है ।

31. इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि नियम 56(घ) में यह उपबंधित है कि जहां कोई अनुशासनिक जांच लंबित या अनुध्यात है और अनुध्यात अनुशासनिक जांच की दशा में, सरकारी सेवक को सूचना के अवसान के पूर्व यह सूचित किया जाएगा कि उसे स्वीकार नहीं किया गया है । नियम 56(घ) का परन्तुक वहां लागू नहीं होता है जहां अनुशासनिक जांच अनुध्यात या लंबित नहीं है । जब स्वयं परन्तुक ही लागू नहीं होता है तब वह किसी भी दशा में नियम 56 के खंड (ग) में उल्लिखित आकस्मिकताओं की बाबत स्पष्टीकरण के उपबंधों को भी हल्का नहीं करेगा ।

32. स्वाधीनता के सिद्धांत और स्वाधीनता को कम करने के संबंध में किए गए इस निवेदन को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि विधि न्यायपूर्ण, ऋजु और युक्तिसंगत होनी चाहिए, क्योंकि मूल नियम कानूनी नियम होते हैं और वे राज्यपाल द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 241(2)(ख) के अधीन बनाए गए हैं और प्रश्नगत नियम के उपबंधों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे अऋजु, अयुक्तिसंगत और अन्यायपूर्ण हैं ।

33. स्वाधीनता की इस संकल्पना को लागू नहीं किया जा सकता है कि जब लोक हित में आवश्यक हो तब सेवा न की जाए क्योंकि सेवानिवृत्ति जिससे धनीय फायदे जुड़े होते हैं, कतिपय शर्तों के अध्यधीन हो सकती है । आम जनता का अति-विशेषज्ञताप्राप्त विशेषज्ञों से न कि अर्ध-कुशल डाक्टरों से उपचार कराने का अधिकार है । **जगदीश सरण** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

> "44. द्वितीयतः और अधिक महत्वपूर्ण रूप से गुणता के आधार की भर्त्सना करना या उसे अस्वीकार करना कठिन है जब चयन विशिष्ट विषयों में स्नातकोत्तर या डाक्टरोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए हो । ..... निचले स्तर के अभ्यर्थियों का चयन करके कमजोर वर्गों के साथ नीरस सहानुभूति दर्शाना, अस्पताल सेवा में श्रेष्ठता के अवसर से इनकार करके संपूर्ण समाज को दंडित करना है सबसे निर्धन व्यक्ति को भी, जब घातक बीमारी से पीड़ित हो, निपुणतम विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है न कि तुच्छ बुद्धि वाले व्यक्तियों की । इस प्रकार ही समता और क्वालिटी की उपेक्षा करके गुणता में रियायत सामाजिक जोखिम है जहां प्रक्रम स्नातकोत्तर या डाक्टरोत्तर हो ।"

34. सरकार द्वारा भी लोक हित की संकल्पना का अवलंब लिया जा सकता है जब कि किसी कर्मचारी द्वारा ईप्सित स्वेच्छया सेवानिवृत्ति लोक हित के प्रतिकूल है । उपबंधों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे किसी अधिकार का अतिक्रमण करते हैं । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, डाक्टरों की पहले से काफी कमी है, प्रणाली को सक्षम ज्येष्ठ व्यक्तियों से विहीन नहीं छोड़ा जा सकता है और विशेष रूप से उच्च न्यायालय ने स्वयं यह मत व्यक्त किया है कि डाक्टरों को सेवा में

---

[1] [1981] 1 उम. नि. प. 129 = (1980) 2 एस. सी. सी. 768.

प्रवेश करने के लिए आकर्षित नहीं किया जा रहा है और डाक्टरों की कमी विद्यमान है । गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में उपचार कराता है । उन्हें जोखिम में नहीं डाला जा सकता है जबकि कतिपय डाक्टरों को प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया है । यह सही नहीं है कि उन्हें उनकी ज्येष्ठता के बिना या अन्य काडर में तैनात किया गया है । इन प्रशासनिक पदों पर भी किसी न किसी को कार्य करना है, जो कि चिकित्सा सेवाओं को चलाने के लिए, जो कि स्वयं जीवन के अधिकार का एक भाग है, पूर्णतः आवश्यक है । वर्तमान मामले में, जहां कि उपचार प्राप्त करने में जनता का अधिकार अंतर्वलित है, राज्य सरकार ने स्पष्टीकरणों के अनुसार लोक हित को विचार में लेते हुए स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की प्रार्थना से इनकार करने का विनिश्चय किया है । यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य ने कोई अवैधता कारित की है या उसका विनिश्चय मनमानेपन की किसी बुराई से ग्रस्त है ।

35. सरकार का विनिश्चय मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और लोक हित के उद्देश्यों को अग्रसर करता है । प्रत्यर्थी संविधान के भाग 3 के अधीन सेवानिवृत्त होने के अधिकार का दावा कर रहे हैं, ऐसा अधिकार जीवन के अधिकार से सर्वोपरि नहीं हो सकता है । इसका निर्वचन संविधान के भाग 4 में राज्य सरकार के अधिकारों के साथ-साथ करना होगा क्योंकि राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य और पोषाहार से संबंधित उपबंधों की देखभाल करने का प्रयत्न करना बाध्यकारी है । मूल कर्तव्य भी अनुच्छेद 51(क) के अधीन प्रतिष्ठापित हैं जिनका पालन करना आवश्यक है । अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन अधिकार आम जनता के हित के अध्यधीन होता है और जैसे ही सेवा में प्रवेश कर लिया जाता है, उस अधिकार का प्रयोग केवल नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं । लोक हित में की गई ऐसी सेवा शर्तों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे अवैध या मनमानी हैं या उनसे स्वाधीनता के अधिकार को छीना गया है । प्रश्नगत नियम के उपबंधों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे सांविधानिक उपबंधों के विरुद्ध हैं । स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की दशा में, उपदान, पेंशन और अन्य देय आदि कर्मचारी को नियमों के अनुसार संदेय होते हैं और जब किसी कर्मचारी की सेवाओं की अपेक्षा हो तब नियुक्ति प्राधिकारी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करने संबंधी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा । यदि सभी डाक्टरों को सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है तो उस स्थिति में अराजकता फैल जाएगी और

सरकारी अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं रह जाएगा जो कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के विरुद्ध और लोक हित के लिए हानिकर होगा । स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की दशा में, नियम 56 में एक उपबंध है कि सरकारी सेवक को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि की बजाय पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि का फायदा प्रदान किया जा सकता है और इसके साथ-साथ अत्यंत आवश्यकता की स्थिति में सेवा करने की तद्नुरूपी बाध्यता भी है ।

36. इस बात पर जोर दिया गया था कि तमिलनाडु राज्य में, सरकार ने सरकारी डाक्टरों को सेवानिवृत्त न करने के संबंध में नियमों में संशोधन किया है, यदि डाक्टरों की कोई कमी है तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने नियमों में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है । भारत में, गरीब लोगों और वंचितों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित चिकित्सा सेवाएं हैं अन्यथा पूर्त-चिकित्सा व्यवसाय का वाणिज्यीकरण हो जाएगा । अन्य राज्यों में भी, कभी-कभी यह देखा गया है कि जब किसी डाक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो वह डाक्टर उस पद से त्यागपत्र देते हुए आवेदन अग्रेषित करता है या स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करता है क्योंकि वह बाहर नहीं जाना चाहता है और अपनी लाभप्रद प्राइवेट प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं चाहता है और जब वह अपनी पसन्द के स्थान पर नियुक्ति वापस प्राप्त कर लेता है तो वह ड्यूटी ग्रहण कर लेता है । ऐसे परिदृश्य में, लोगों को अच्छे डाक्टरों की सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है । डाक्टरों की कमी और चिकित्सा के नेक व्यवसाय के दुर्भाग्यपूर्ण निजीकरण और वाणिज्यीकरण को ध्यान में रखते हुए, राज्य चिकित्सा सेवाओं की दक्षता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किया गया विनिश्चय नियमों के अनुसार अनुज्ञेय है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञताप्राप्त डाक्टरों की कमी का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त मताभिव्यक्तियां की हैं और इसके साथ-साथ अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश राज्य को लागू नियम 56 से संलग्न स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना गलत निर्वचन के आधार पर राज्य सरकार के विरुद्ध विनिश्चय किया है । उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रस्तावना दी गई है वह उसके निष्कर्ष के विपरीत है । उच्च न्यायालय को डाक्टरों द्वारा की गई स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की प्रार्थना को नामंजूर कर देना चाहिए था न कि मंजूर करना चाहिए था ।

37. इस बात पर जोर दिया गया था कि कुछ डाक्टर गर्दन के दर्द से

पीडित हैं इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए किन्तु उन्होंने ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं बताई है जिससे उन्हें किसी भी रीति में अस्पताल में कार्य करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो सकती है । उनके द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने के लिए इसका बहाने के रूप में प्रयोग किया गया था । सरकार को उनकी दक्षता पर विचार करना है । डाक्टरों को भी निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन अधिकार प्राप्त है और ऐसे रोगों से अनिर्बंधित रूप में अपनी सेवाओं में बने रह सकते हैं ।

38. अनुच्छेद 47 के अधीन लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन एक प्राथमिक कर्तव्य और कानूनी अभिव्यक्ति है जिसे प्रवर्तित किया जा सकता है । जब हम मूल कर्तव्यों वाले अनुच्छेद 51क पर विचार करते हैं तो अनुच्छेद 51क(छ) के अधीन प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे और मानववाद रखना भी अनुच्छेद 51क(ज) के अधीन अनुध्यात है और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले । गरीब लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से वंचित करके और उन्हें डाक्टरों की दया पर छोड़ देने से इसे पूरा नहीं किया जा सकता है । सरकारी चिकित्सा सेवाओं से बड़े पैमाने पर पलायन नहीं किया जा सकता है जैसा कि वर्तमान मामले में दर्शाया जा रहा है, निश्चित रूप से विधि के क्षेत्र के भीतर ऐसा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है और हमें संविधान के सार और उसकी भावना पर खरा उतरना है और हम समाज के निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं की अवज्ञा या अनदेखी नहीं कर सकते ।

39. इस बात पर जोर दिया गया था कि राज्य सरकार प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं के डाक्टरों और राज्य के स्वामित्वाधीन अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डाक्टरों के बीच भेदभाव कर रही है । चिकित्सा महाविद्यालयों आदि में डाक्टरों को सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जा रहा है । ऐसे सात डाक्टरों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें वर्ष 2016, 2017 और 2018 में सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया गया था । प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं के डाक्टरों के मुकाबले चिकित्सा महाविद्यालयों के डाक्टरों की स्थिति भिन्न है । अन्यथा भी, डाक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुए, समानता के किसी आधार का दावा नहीं किया जा सकता है और भिन्न-भिन्न सेवाओं के डाक्टर भिन्न-

भिन्न वर्ग गठित करते हैं, इसके अलावा नकारात्मक समानता की और वह भी लोक हित के प्रतिकूल कोई संकल्पना नहीं है । यदि ऐसा अभिवाक् अनुज्ञात किया जाता है तो यह हो सकता है कि आम जनता की सेवा करने के लिए कोई न बचे ।

40. उच्च न्यायालय के अनेक ऐसे विनिश्चय हैं, अर्थात्, **डा. अनिल दीवान** बनाम **पंजाब राज्य**[1], **पंजाब राज्य** बनाम **डा. हरबीर सिंह ढिल्लन**[2] और **डा. कल्पना सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] वाले मामलों को यह दर्शित करने के लिए उद्धृत किया गया था कि **दिनेश चन्द्र संगमा** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय का अनुसरण किया गया था । हमने उपर्युक्त विनिश्चयों पर विचार किया है और हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह नियमों की स्कीम पर निर्भर करेगा । प्रत्येक निर्णय पर उन उपबंधों को, जो विचारार्थ उद्भूत हुए थे और उस प्रश्न को जिसका उसने विनिश्चय किया है, नियमों में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में पहले ही मत व्यक्त किया जा चुका है, इसे साधारणतया लागू होने वाला नियम नहीं कहा जा सकता है ।

41. यह भी दलील दी गई थी कि उत्तर प्रदेश राज्य नियमों में संशोधन कर सकता है, हमारी राय में, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य ने स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों में पहले ही संशोधन कर दिया है जिससे कि वह सेवानिवृत्ति की बाबत आदेश पारित करने के लिए समर्थ हो सके, चाहे वह सेवानिवृत्ति सरकार की प्रेरणा से है या कर्मचारी के कहने पर है क्योंकि दोनों के लिए लोक हित मूलतः तात्विक है ।

42. सेवानिवृत्ति पर एक वर्ष के अधिस्थगन काल के अधिरोपण की बाबत भी निवेदन किया गया था और यह कि राज्य द्वारा डाक्टरों की भर्ती की जानी चाहिए और उसके पश्चात् स्वेच्छया सेवानिवृत्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए । हम ऐसा साहस दिखाने की प्रस्थापना नहीं करते हैं । स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की ईप्सा करने वाली प्रार्थना को अस्वीकार करने संबंधी राज्य सरकार की कार्रवाई उपयुक्त थी । सरकार, यदि कोई रिक्तियां हैं तो उन्हें भर सकती है । किन्तु इससे ज्येष्ठ स्तर पर अनुभवी डाक्टर उपलब्ध नहीं हो जाएंगे और जब एक बार उन्होंने यह पाया कि

---

[1] आई. एल. आर. 1 पंजाब और हरियाणा 46.

[2] (2010) एस. सी. सी. आनलाइन पंजाब और हरियाणा 6159.

[3] (2014) एस. सी. सी. आनलाइन राजस्थान 6253.

नियमों में की गई कानूनी अभिव्यक्तियों का उपहास नहीं किया जा सकता है तो सेवाओं को कमजोर करने के लिए डाक्टरों के पलायन को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है जबकि लोक हित में दक्ष चिकित्सा व्यवसाय के लिए और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की पूर्ति करने के लिए उनका सेवा में बने रहना अपेक्षित है । जब सेवाओं की आवश्यकता हो तो उत्तर प्रदेश राज्य में लागू नियमों के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति से इनकार करना अनुज्ञेय है ।

43. उपर्युक्त कारणवश, हम सिविल अपीलें मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं । मध्यक्षेप करने और आलिप्त करने संबंधी आवेदन मंजूर किए जाते हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ग्रो.

[2019] 1 उम. नि. प. 126

शिवराज

बनाम

राजेन्द्र और एक अन्य

5 सितम्बर, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 140, 147 और 166] – ट्रैक्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना – दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसमें यात्रा कर रहे एक यात्री को गंभीर क्षतियां पहुंचना – ट्रैक्टर बीमा की शर्तों और निबंधनों के उल्लंघन में चलाया जाना – प्रतिकर संदाय करने का बीमा कंपनी का दायित्व – बीमा कंपनी द्वारा प्रतिकर संदाय करने से इनकार करना – यदि अभिलेख पर के साक्ष्यों से यह साबित कर दिया जाता है कि अभिकथित ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस ट्रैक्टर में यात्रा कर रहे यात्री को गंभीर क्षतियां पहुंची हैं किन्तु वह ट्रैक्टर बीमा के शर्तों और निबंधनों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था तो भी बीमा कंपनी ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति की